



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 भाद्र 1942 (श0)

(सं0 पटना 505) पटना, सोमवार, 24 अगस्त 2020

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

19 अगस्त 2020

विषय—बिहार मोबाइल टॉवर, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स (OFC) और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियमावली, 2020

सं0 05 न०वि०/विविध-66/2020-2897/न०वि०आ०वि०—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा 127(1) एवं 419(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार मोबाइल टॉवर, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स (OFC) और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियमावली, 2020 बनाते हैं, जिसका प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 127(1) एवं 419(1) के अधीन यथापेक्षित एतद् द्वारा पूर्व प्रकाशित किया जाता है :-

पृष्ठभूमि:—

दूरसंचार विषय, जिसके अन्तर्गत टेलीफोन, वायरलेस, डेटा और टेलीमेट्रिक सेवाएं शामिल हैं, संचार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन संघ सूची का विषय है। यह सर्वविदित तथ्य है कि दूरसंचार क्षेत्र का अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है तथा आर्थिक विकास और सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले के औद्योगिकीकरण और विकास को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार सेवा के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करेगी।

वायरलेस/ब्रॉडबैंड के उपभोक्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि के साथ-साथ, उपभोक्ताओं द्वारा मोबाइल बैंकिंग, हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर, कैशलेस सेवाओं, सोशल नेटवर्किंग साइटों तक पहुँच, ऑनलाइन सिटीजन सेंद्रिक सर्विसेज, गेमिंग, मोबाइल टीवी, हाई स्पीड इंटरनेट, बी०पी०एन० सेवाएं जैसे नए अनुप्रयोगों से काफी लाभ उठाया जा रहा है, जो बेहतर ई-गवर्नेंस सुनिश्चित कर रही हैं और लोगों के ज्ञान के आधार को बढ़ाती हैं। टेली-घनत्व दूरसंचार सेवा के विकास के लिए एक मानक माप है जो प्रति 100 जनसंख्या पर ग्राहकों की संख्या है। बिहार का टेली-घनत्व 62.54 है जो राष्ट्रीय औसत 91.82 से कम है (ट्राई प्रेस विज्ञप्ति संख्या 22/2019 के अनुसार)।

यद्यपि दूरसंचार एक केंद्रीय विषय है, परन्तु इस प्रावधान को लागू करने में सार्वजनिक/निजी संपत्तियों का उपयोग करने वाले अपने संसाधनों को स्थापित करने के लिए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स/इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स (आईपी) को अनुमति देने के रूप में राज्य का सहयोग एवं समन्वय आवश्यक है। दूरसंचार विभाग द्वारा 2014 में जारी एडवाइजरी दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न सरकारी निकायों/स्थानीय निकायों द्वारा दूरसंचार क्षेत्र में विभिन्न

इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं/लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों को अनुमति प्रदान करने एवं बिहार राज्य में दूरसंचार, सिंगल विंडो क्लियरेंस का सुझाव, राज्य/जिला स्तर की समितियों का गठन, जनता के हितों की रक्षा आदि हेतु प्रक्रिया अपनाई गई है।

उद्देश्य:-

- (i) निर्दिष्ट समय रेखा के भीतर ओएफसी, इन-बिल्डिंग सोल्यूशन और अन्य दूरसंचार अवसंरचनाओं को बिछाने, मोबाइल टॉवर की स्थापना के लिए आवेदन और अनुमति देने की प्रक्रिया को कारगर बनाना। इससे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स तथा नगर विकास एवं आवास विभाग से अनुज्ञप्ति प्राप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स को एक निश्चित समय सीमा के अन्दर अनुमति प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- (ii) बिहार के दूरस्थ, पहाड़ी प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के विकास को प्रोत्साहित करना।
- (iii) नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए आधुनिक दूरसंचार बुनियादी ढांचे की स्थापना करना।
- (iv) उन क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता के इंटरनेट को सुनिश्चित करना जहां मोबाइल कनेक्टिविटी मौजूद है और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टेरेस्ट्रियल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में सुधार करना।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:-

- (क) इस नियम को “बिहार मोबाइल टावर, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स (OFC) और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियम, 2020” कहा जा सकेगा।
- (ख) यह पूरे राज्य में विस्तारित होगा।
- (ग) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
- (घ) यह नगर विकास और आवास विभाग द्वारा प्रशासित किया जाएगा।
- (ङ) यह नियम भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1985, टॉवर दिशानिर्देशिका 2014, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स, 2016 में शामिल प्रावधानों का उल्लंघन या सुपरसीड नहीं करेगा।

यह नियम वैसे किसी भी मौजूदा अधिसूचना, परिपत्र, नियम, उपनियम, नियमों में संशोधन करने का उद्देश्य रखता है, जहाँ कभी भी बिहार राज्य के विभिन्न प्राधिकरणों से अनुमति प्राप्त करने के बारे में आवश्यक हो और संबंधित विभाग इस नियम के अनुसार आवश्यक अधिसूचना जारी करेगा।

2. परिभाषा:- इस नियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो: -

- (क) “राज्य” का अर्थ बिहार राज्य है।
- (ख) “लाइसेंसधारी” का अर्थ है भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत जारी लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति।
- (ग) “आवेदक” का अर्थ है कोई भी IP-1 or TSP, जो टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने और बनाये रखने के लिए अनुमति हेतु एक आवेदन देता है।
- (घ) “एप्लीकेशन” का अर्थ है टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और रखरखाव के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए आवेदन।
- (ङ) “आवेदन पत्र” या “प्रपत्र” का अर्थ इस नियम से जुड़ा हुआ प्रपत्र।
- (च) “फीस” का अर्थ है टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर पर इस नियम के तहत निर्धारित “फीस” जिसमें प्रशासनिक शुल्क, अनुमति शुल्क, उपयोग शुल्क, उपयोगिता शुल्क या इस नीति या किसी अन्य कर या लेवी आदि के रूप में शामिल हैं, जो किसी भी कानून के तहत देय हो सकते हैं। शुल्क या वार्षिक शुल्क में GST, लेबर सेस और अन्य लागू कर शामिल नहीं हैं।
- (छ) “अनुमति” का अर्थ है टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए इस नियम से संबंधित कोई अनुमति।
- (ज) “उपयुक्त प्राधिकरण” का अर्थ है स्थानीय प्राधिकरण या ऐसा प्राधिकरण, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित हो तथा राज्य सरकार की सम्पत्ति के साथ-साथ भूमि, भूमिगत और ओवर ग्राउण्ड टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाये रखता है या इसके तहत ऐसे प्राधिकार का नियंत्रण या प्रबंधन निहित है।
- (झ) “नोडल प्राधिकरण” का अर्थ है प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, जो नियम तैयार करने और इसके निष्पादन के लिए परिचालन दिशानिर्देशों के लिए जिम्मेदार होंगे।
- (त) “क्षेत्र” का अर्थ है उपयुक्त प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र:-
 - (i) नगर निगम
 - (ii) नगर परिषद
 - (iii) नगर पंचायत
 - (iv) ग्रामीण क्षेत्र
 - (v) वन क्षेत्र
 - (vi) राज्य प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला कोई अन्य क्षेत्र।

(थ) “स्थानीय प्राधिकारी और नोडल अधिकारी” सरकारी संपत्तियों के उपयोग की अनुमति देने के लिए विभिन्न विभागों से नामित “स्थानीय प्राधिकारी और नोडल अधिकारी” निम्न प्रकार हैं :-

क्षेत्र	विभाग	स्थानीय अधिकारी
नगर निगम	नगर विकास एवं आवास विभाग	नगर आयुक्त
नगर परिषद	नगर विकास एवं आवास विभाग	नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत	नगर विकास एवं आवास विभाग	नगर कार्यपालक पदाधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र	पंचायती राज विभाग	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
सरकारी भवन	संबंधित विभाग	विभाग के प्रधान (जो संबंधित भवन का देखभाल करते हैं) या उनके द्वारा नामित अन्य पदाधिकारी
वन भूमि	वन एवं पर्यावरण विभाग	वन प्रमण्डल पदाधिकारी
ओवरहेड इलेक्ट्रिक अलाइनमेंट (उपयोगिता, ध्रुवों के लिए RoW)	उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	क्षेत्राधिकार से संबंधित कार्यपालक अभियंता।

(द) “टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर” का अर्थ है ओवर ग्राउण्ड टेलीग्राफ इन्फ्रास्ट्रक्चर और भूमिगत टेलीग्राफ इन्फ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स, 2016 में परिभाषित किया गया है और इसमें शामिल है:-

- (i) ऑप्टिकल फाइबर केबल – भूमिगत या जमीन के ऊपर (एरियल)।
- (ii) मोबाइल टावर— ग्राउंड बेस टावर्स [GBT], रूफ टॉप टावर्स [RTT], रूफ टॉप पोल [RTP]
- (iii) पहियों पर सेल (सेल आन व्हील्स)
- (iv) टेलीकॉम सेवाओं के प्रभावी स्थापना और रखरखाव के लिए इन-बिल्डिंग सॉल्यूशन एंड माइक्रो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट (माइक्रो सेल), या कोई अन्य उपकरण आदि, जो दूरसंचार अवसंरचनाओं के स्थापना एवं प्रभावी रखरखाव के लिए आवश्यक है।
- (ध) “माइक्रो कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट” का अर्थ है एक पिको/माइक्रो/पोल साइट, जो आकार में छोटा और वजन में हल्का है, जो इमारतों/सड़कों के खंभे/सड़क के फर्नीचर पर अवस्थित है, बड़ी इमारतों में यथा-मॉल, कनवेंशन सेन्टर और उन क्षेत्रों में जहाँ जगह की कमी के कारण संकरी गलियाँ, घनी आबादी वाले क्षेत्र और खुले सार्वजनिक स्थान पर लगे हैं।
- (ण) “टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर (टीएसपी)” का अर्थ है एक टेलीफोनी सेवाएँ प्रदान करनेवाला लाईसेंसधारी, जिसमें मोबाइल फोन सेवाएँ, इंटरनेट और डेटा ट्रांसफर सेवाएँ आदि शामिल हैं।
- (ट) “इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर (आईपी)” का अर्थ है भारत में टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ पंजीकृत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता।
- (ठ) “नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत” का अर्थ स्थानीय नगरपालिका की एक संस्था, जिसका गठन “बिहार म्यूनिसिपल एक्ट 2007” के तहत किया गया है, जो एक स्थानीय स्वशासी संस्थान है।
- (ड) “स्थानीय निकाय” का अर्थ है नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत इत्यादि।
- (ढ) “शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र” निम्नवत् है :-
- (i) नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के अन्तर्गत सभी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र माना जायेगा।
- (ii) शेष सभी क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र माना जायेगा।
- (ण) “लोक शिकायत” का अर्थ है टावरों की स्थापना और दूरसंचार अवसंरचना से संबंधित मुद्दों से संबंधित सार्वजनिक शिकायतें।

3. नोडल विभाग:-

इस नियम के कार्यान्वयन और समन्वय के लिए नगर विकास और आवास विभाग नोडल विभाग होगा। नगर विकास और आवास विभाग नियम के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के नोडल अधिकारी को नामित करेगा।

उपरोक्त नियम के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, नगर विकास और आवास विभाग द्वारा समय-समय पर आवश्यक व्याख्या, स्पष्टीकरण, निदेश जारी किया जाएगा।

3.1 ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया और आवेदन का खुलासा :-

राज्य सरकार/नोडल विभाग अपने नियंत्रण के तहत सभी नोडल अधिकारियों के लिए एक एकल इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रक्रिया स्थापित कर सकता है या इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रक्रिया को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को इसकी अधिसूचना की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर प्रत्यायोजित किया जाएगा।

जब तक ऐसी आवेदन प्रक्रिया विकसित नहीं हो जाती है, तब तक उपयुक्त प्राधिकारी, आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन को अपनी वेबसाइट में प्राप्त सभी दस्तावेजों के साथ रख देगा। यदि प्राधिकरण के पास वेबसाइट नहीं है, तो वह ऐसे रूप और तरीके से सार्वजनिक सूचना जारी करेगा, जैसा कि उपयुक्त हो।

4. समितियों का गठन :**4.1 जिला स्तरीय दूरसंचार समिति :-**

प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय दूरसंचार समिति निम्नवत होगी : -

- (i) जिला समाहर्ता, अध्यक्ष
- (ii) उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद
- (iii) वन क्षेत्र पदाधिकारी, वन विभाग
- (iv) पुलिस अधीक्षक
- (v) जिला समाहर्ता द्वारा संयोजक के रूप में नामित एक अधिकारी
- (vi) कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग (BCD)
- (vii) कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग (RCD)
- (viii) जिले के सभी नगरपालिकाओं के सभी नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी।
- (ix) बीएसएनएल के जिला प्रमुख
- (x) प्रत्येक टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर के सर्किल प्रमुख या उसका प्रतिनिधि।
- (xi) अध्यक्ष द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित व्यक्ति

4.1.1 जिला स्तरीय दूरसंचार समिति की भूमिका: -

(i) डीटीसी, संबंधित जिले में दूरसंचार बुनियादी ढांचे से संबंधित टावरों और मुहों की स्थापना से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों से निपटेगा। यदि कोई शिकायत हो तो डीटीसी शिकायत के 30 दिनों के भीतर, समयबद्ध तरीके से जन शिकायतों को पूरा करने के लिए बैठक बुलाएगा।

(ii) डीटीसी की सिफारिशों का पालन, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत या जिले में विषय से संबंधित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(iii) जिला स्तरीय कार्ययोजना को स्वीकृति हेतु राज्यस्तरीय दूरसंचार समिति के समक्ष स्वीकृति के लिए इसे प्रस्तुत करना।

जिला स्तरीय दूरसंचार समिति शिकायतों से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए पहली अपीलीय प्राधिकार है, जो समाहर्ता के आदेश पर समिति जिले के अधिकार क्षेत्र में दूरसंचार बुनियादी ढांचे से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाएगी।

डीटीसी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर के आवेदन के अनुसार विभिन्न जिलों में जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करेगा और लोगों के लिए आवश्यक दूरसंचार सेवाओं के स्थापना के लिए टेलीकॉम टॉवर/टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और रखरखाव की आवश्यकता के बारे में जागरूक करेगा।

4.2 द्वितीय अपीलीय प्राधिकार :-

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध पक्ष पारित निर्णय के 30 दिनों के अन्दर द्वितीय अपीलीय प्राधिकार (प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार) के समक्ष अपील कर सकता है। द्वितीय अपीलीय प्राधिकार को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय को संशोधित, रद्द करने या संपुष्ट करने की शक्ति होगी।

4.3 राज्य स्तरीय दूरसंचार समिति (एसटीसी) में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे-

- (i) प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग - अध्यक्ष
- (ii) प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग या उनके प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से अन्यून)
- (iii) प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग या उनके प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से अन्यून)
- (iv) प्रधान सचिव/सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग या उनके प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से अन्यून)
- (v) प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग या उनके प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से अन्यून)

- (vi) प्रधान सचिव/सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग या उनके प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से अन्यून)
- (vii) प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग या उनके प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से अन्यून)
- (viii) प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग या उनके प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से अन्यून)
- (ix) बीएसएनएल के राज्य प्रमुख/प्रतिनिधि या उनके प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से अन्यून)
- (x) प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता का राज्य प्रमुख/या उनके प्रतिनिधि
- (xi) प्रत्येक इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता के राज्य प्रमुख/या उनके प्रतिनिधि
- (xii) स्टेट हेड, एन0एच0ए0आई
- (xiii) अध्यक्ष द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित व्यक्ति
- (xiv) नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रतिनिधि-संयोजक (संयुक्त सचिव से अन्यून)

4.3.1 राज्य स्तरीय दूरसंचार समिति (एसटीसी) की भूमिका:-

- (i) एसटीसी, डीटीसी के अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा।
- (ii) एसटीसी के पास डीटीसी के निर्णयों में संशोधन करने, रद्द करने और संपुष्ट करने या नए सिरे से विचार करने के लिए डीटीसी को वापस भेजने की शक्तियाँ होंगी।
- (iii) एसटीसी/डीटीसी की सिफारिशों का पालन नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत या स्थानीय प्राधिकारी के रूप में उल्लिखित कोई अन्य प्राधिकरण के द्वारा किया जायेगा।
- (iv) एसटीसी समीक्षा के बाद राज्य कार्य योजना को मंजूरी देगा और यदि आवश्यक हो तो परिवर्तन का सुझाव दे सकता है।

5. मोबाइल टावर्स के लिए अनुमति जारी करने के लिए प्राधिकरण:-

स्थानीय प्राधिकरण, जिसमें नगर आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी, वन प्रमण्डल पदाधिकारी आदि शामिल हैं, जैसा कि नियम 2 (थ) में परिभाषित है, निम्नलिखित से संबंधित नियम 2 (द) में परिभाषित टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए अपने संबंधित क्षेत्र में परमिट जारी करने के लिए आवेदनों को प्राप्त करेगा और जांच करेगा:-

- (क) मोबाइल टावर – ग्राउंड बेस टावर्स [GBT], रूफ टॉप टावर्स [RTT], रूफ टॉप पोल [RTP]
- (ख) सेल ऑन व्हील [CoW]
- (ग) माइक्रो संचार उपकरण (माइक्रो सेल),
- (घ) ऑप्टिकल फाइबर केबल – भूमि के उपर, भूमिगत एवं भूमि पर।
- (ङ) अन्य उपकरण और उपकरण भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अनुसार

6. स्थानीय अधिकारियों की भूमिका:-

- (i) संबंधित स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में मोबाइल टावर्स (जीबीटी, आरटीटी, और आरटीपी) और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की स्थापना की अनुमति देने के लिए अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत दूरसंचार अवसंरचना के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रशासनिक शुल्क के साथ निर्दिष्ट प्रारूप में लाइसेंस प्राप्त टीएसपी/आईपी से आवेदन एकत्र करेंगे।
- (ii) संबंधित स्थानीय प्राधिकारी इस नियम के अनुसार अनुपालन आवश्यकताओं की जांच करने के लिए आवेदन की जांच करेंगे।
- (iii) अनुमति के मुद्दे के अनुपालन में किसी और आवश्यकता के बारे में आवेदक को सूचित करेंगे।
- (iv) अंत में, संबंधित स्थानीय प्राधिकारी निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर परमिट जारी करेंगे।
- (v) समय-समय पर निगरानी और टॉवर संरचना, ओएफसी या दूरसंचार बुनियादी ढांचे से संबंधित किसी भी गतिविधियों की समीक्षा करेंगे।
- (vi) मोबाइल टावर्स की स्थिति और अन्य दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर की प्रगति के बारे में विचार कर जिला समाहर्ता को वर्ष में एक बार या वांछित होने पर प्रतिवेदित करेंगे।

7. मोबाइल टावर्स, सेल ऑन व्हील, माइक्रो-कम्युनिकेशन उपकरण, इन-बिल्डिंग सोल्यूशन आदि के लिए अनुमति

7.1 मोबाइल टावर्स

स्थापना प्रकार के आधार पर, मोबाइल टावरों को ग्राउंड बेस्ड टावर्स (GBT) या रूफ टॉप टावर्स (RTT) या रूफ टॉप पोल [RTP] के रूप में अग्रतर वर्गीकृत किया जाता है।

7.1 (क) ग्राउंड बेस्ड टावर्स

इन टावरों को उपयुक्त आधार के साथ प्राकृतिक जमीन पर खड़ा किया जाता है। इन टावरों में उच्च भार वहन क्षमता होती है और ये बाहरी एंटीना, फिक्सचर आदि के लिए उपयुक्त है।

7.1 (ख) रूफ टॉप टावरस

इस प्रकार की मीनारें मौजूदा भवनों की छतों के ऊपर लोहे की संरचनाओं, स्तंभों और टाई बीमों के साथ बनाई जाती है। ये टावर एंटीना, फिक्सचर आदि को फिक्स करने के लिए सक्षम है।

7.1 (ग) रूफ टॉप पोल

इस प्रकार के पोल छोटे एंटेना, फिक्सचर आदि के लिए मौजूदा मौजूदा इमारतों की छतों के ऊपर लगाए गए हैं।

7.1.2. टावरों को लगाने के लिए अनुमत स्थान

मोबाइल संचार टावरों के आवश्यक और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं होने के कारण इनके लगाने हेतु तब तक स्थान का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, जब तक कि प्राधिकरण/न्यायालय के आदेश द्वारा कोई प्रतिबंध न हो। मोबाइल संचार टावरों को इसके निर्दिष्ट भूमि उपयोग की परवाह किए बिना निम्नलिखित सभी स्थानों पर स्थापित किया जा सकता है (लेकिन इन तक सीमित नहीं है)–

- (i) सभी प्रकार की आवासीय/बहुमंजिला इमारतें/समूह आवास भवन
- (ii) सभी प्रकार के औद्योगिक/वाणिज्यिक भवन
- (iii) सभी प्रकार के संस्थागत भवन/अस्पताल
- (iv) सार्वजनिक सुविधाओं के लिए खाली भूमि जैसे पार्क, खेल का मैदान, वन भूमि और भूमि
- (v) सरकारी विभागों/सरकार के अधिकार क्षेत्र में भूमि और भवन/नियंत्रित निकाय/राज्य पीओएस0यू।

7.1.3 जारी की गई अनुमति की वैधता

किसी भी आवेदक को इस नियम के तहत जारी अनुमति/अनुमति उस टीएसपी/आईपी-1 को जारी किये गये पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता के साथ सह-टर्मिनस होगी।

7.1.4 मोबाइल टॉवर की स्थापना के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया

आवेदक जिस क्षेत्र में मोबाइल टावर स्थापित करना चाहते हैं, उसके लिए स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय में संलग्न प्रपत्र (परिशिष्ट-क) के रूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक जानकारी के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। नियम 5 में परिभाषित संबंधित स्थानीय प्राधिकारी लाइसेंसधारी को परमिट जारी करेंगे।

मोबाइल टॉवर की स्थापना के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित जानकारी और सहायक दस्तावेजों को संलग्न करना आवश्यक है:-

- (i) दूरसंचार विभाग द्वारा दिये गये पंजीकरण प्रमाणपत्र/ भारत सरकार द्वारा प्रदत्त लाइसेंस की एक प्रति।
- (ii) विवरण तालिका:-
- (क) आवेदक कंपनी का नाम अर्थात् आईपी -1/लाइसेंस, जैसा भी मामला हो।
- (ख) टॉवर का प्रकार यथा जीबीटी, या आरटीटी या आरटीपी
- (ग) टॉवर का स्थान और अक्षांश और देशांतर
- (घ) मोबाइल टावर की स्थापना के लिए भूमि की आवश्यकता, यदि वह सरकारी भूमि के संबंध में हो।
- (ङ) भवन या संरचना का विवरण, जहां मोबाइल टॉवर अवसंरचना की स्थापना प्रस्तावित है।
- (च) किए गए आवेदन के संबंध में संचार के प्रयोजनों के लिए आवेदक के कर्मचारियों के नाम और संपर्क विवरण।
- (iii) रूफ-टॉप टावरस के लिए स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट की कॉपी और सर्टिफिकेट को निम्न में से किसी भी अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर से निर्गत होना चाहिए:- भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार/स्थानीय निकाय/सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (CBRI), रुड़की/ IIT/NITs, राज्य सरकार के इंजीनियरिंग (सिविल) कॉलेज या किसी अन्य एजेंसी को समय-समय पर अधिकृत किया जाता है।
- (iv) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) या किसी अन्य अधिकृत एजेंसी द्वारा डीजल जेनरेटर (डीजी) सेट के निर्माताओं को जारी किए गए टाईप टेस्ट सर्टिफिकेट की प्रति, यदि डीजी को साइट पर स्थापित किया जाय।
- (v) नींव और डिजाइन मापदंडों के विनिर्देशों सहित पूर्ण विवरण के साथ टॉवर का आरेखण।
- (vi) बिहार राज्य में स्मार्ट सिटी शहरों के लिए टीएसपी/आईपी द्वारा स्थापित किए जाने वाले सभी नए दूरसंचार टॉवर, चाहे वह जीबीटी/आरटीटी हो, उद्योग मानदंडों/मानकों के अनुसार सौंदर्य के अनुकूल होगा और इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग उचित निर्देश जारी करेगा।
- (vii) क्षतिपूर्ति बॉन्ड (मूल), टॉवर के कारण होने वाले किसी हानि या चोट की देखभाल करने के लिए फोर्स-मेजर के कारणों के अलावा दुर्घटना के कारणों (इस आशय की घोषणा सहित आवेदक अग्नि सुरक्षा और बिजली के लिए आवश्यक सावधानी बरतेंगे) सभी प्रकार के मुआवजे और हर्जाने के भुगतान करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, और वहां से उत्पन्न होने वाले मामलों के लिए जिम्मेदार होगा।
- (viii) लोकेशन प्लान, साइट प्लान, एलिवेशन प्लान और स्ट्रक्चर प्लान की तीन प्रतियाँ।
- (ix) भवन/भूमि के मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, जिसमें मोबाइल टॉवर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है और सरकारी परिसर के मामले में अधिकृत व्यक्ति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- (x) अग्नि सुरक्षा विभाग से निकासी की प्रतिलिपि, केवल उँची इमारतों के लिए जहां फायर क्लीयरेंस अनिवार्य है।

(xi) आवेदक की राय में, संबंधित किसी अन्य मामले को, जो प्रस्तावित किए जाने वाले कार्य से जुड़ा या संबंधित है तथा

7.1.5 यदि आवेदन पूरा नहीं हो तो आवेदक को संशोधित आवेदन या दस्तावेज/दस्तावेजों की जमा करने एवं 15 दिनों के भीतर दोषों को सुधारने का अवसर दिया जा सकता है और सक्षम प्राधिकारी (स्थानीय प्राधिकरण) संशोधित आवेदन को स्वीकार कर सकता है।

7.1.6 यदि स्थानीय प्राधिकारी आवेदन को खारिज कर देता है, तो अस्वीकृति के कारणों को आवेदक को आवेदन जमा करने के 7 दिनों के भीतर लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए।

7.1.7 हालांकि, किसी भी आवेदन को तब तक अस्वीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि आवेदक को इस तरह की अस्वीकृति के कारणों पर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो। यदि किसी आवेदन को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है, तो संबंधित स्थानीय प्राधिकरण आवेदन करने या संशोधित आवेदन या दस्तावेजों को जमा करने (जैसा मामला हो) के 60 दिनों के भीतर मोबाइल टॉवर के लिए परमिट जारी करेगा।

7.1.8 निजी मकान/सम्पत्ति के मामलों में यदि संबंधित प्राधिकार द्वारा 60 दिन की निर्धारित तिथि के अन्दर मोबाइल टॉवर के लिए अनुमति नहीं दी जाती है, तो यह माना जाएगा कि अनुमति दे दी गई है।

7.1.9 आवेदन की अस्वीकृति या अनुमति देने में देरी के मामले में, TSP / IP ऐसी अस्वीकृति के 15 दिनों के भीतर DTC को अपील कर सकते हैं। यदि टीएसपी/आईपी डीटीसी के निर्णय से सहमत नहीं है, तो वे डीटीसी के ऐसे निर्णय के 30 दिनों के भीतर एसटीसी के समक्ष अपील कर सकते हैं।

7.1.10 शुल्क :-

लाइसेंसधारी द्वारा केंद्र/राज्य सरकार या सांविधिक या गैर सांविधिक निकायों/संस्थानों की भूमि और इमारतों के क्षेत्रों का उपयोग करने के लिए निम्नरूपेण एक बार आवेदन शुल्क और वार्षिक शुल्क के बाद जमा किया जाएगा :-

क्र० सं०	विवरण	नगर निगम (रु०)	नगर परिषद (रु०)	नगर पंचायत (रु०)	ग्रामीण क्षेत्र (रु०)
क	टेलीकॉम टावर्स (GBT/RTT) की स्थापना के लिए एक बार अनुमति शुल्क।	20000	18000	16000	10000
ख	पाँच साल के लिए भूमि आधारित टॉवर के लिए भूमि उपयोग शुल्क (केवल सरकारी भूमि के लिए लागू) GBM-15'x15' GBT-40'x40'	400 प्रतिवर्ग फीट	325 प्रतिवर्ग फीट	250 प्रतिवर्ग फीट	100 प्रतिवर्ग फीट
ग	रूफ टॉप टॉवर्स के लिए एक बार छत उपयोग शुल्क पाँच साल के लिए 10'x10' (केवल सरकारी भवनों के लिए लागू)	600 प्रतिवर्ग फीट	500 प्रतिवर्ग फीट	400 प्रतिवर्ग फीट	300 प्रतिवर्ग फीट

नोट— उपयोग शुल्क की गणना पूर्व में उपयोग किए गए क्षेत्र के आधार पर की जा सकती है। नोडल विभाग द्वारा इन शुल्कों को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

*हालांकि उपरोक्त तालिका में अंकित शुल्क परिभाषित भूमि/छत उपयोग शुल्क नगर निगम के स्वामित्व वाली भूमि और भवन में GBT, GBM और रूफ टॉप टावर्स की स्थापना के लिए उस परिस्थिति में लागू नहीं हो सकता है यदि नगर निगम के पास इसके लिए कोई अनुमोदित दर मौजूद है।

7.2 सेल ऑन व्हील्स (CoW)

त्योहारों, व्यापार मेले आदि के दौरान अच्छी गुणवत्ता के मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए विशिष्ट उद्देश्य के लिए सेल ऑन व्हील की स्थापना के लिए औपचारिक मंजूरी या परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। लोकल अथॉरिटी की अनुमति के बिना सेल ऑन व्हील को अधिकतम तीस दिनों के लिए लगाया जा सकता है। यदि किसी कारण से इससे अधिक दिनों के लिए आवश्यक हो तो 90 दिन से अनधिक अवधि के लिए संबंधित स्थानीय प्राधिकरण से अनुमति आवश्यक है। सीओडब्ल्यू की स्थापना से पहले, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित अधिकारियों को पूर्व औपचारिक सूचना सीओडब्ल्यू की स्थापना से पहले यथासंभव 15 दिन पूर्व दी जाएगी, जिसमें जियो को-ऑर्डिनेट (अक्षांश-देशांतर) का उल्लेख किया जाएगा:-

(i) जिला समाहर्ता और संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक।

(ii) जिस क्षेत्र में सीओडब्ल्यू स्थापित होने जा रहा है, उस क्षेत्र के स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रखंड विकास पदाधिकारी।

सेल ऑन व्हील की स्थापना के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

7.3 माइक्रो संचार उपकरण/पोल

यह नियम माइक्रो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट/पोल की स्थापना को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है, जहां मोबाइल टावरों यथा जीबीटी या आरटीटी या आरटीपी की स्थापना संभव नहीं हो।

7.3.1 अनुमति :-

माइक्रो संचार उपकरण एक छोटा उपकरण होने के नाते राज्यभर में निर्दिष्ट भूमि उपयोग की परवाह किए बिना किसी भी प्रकार की निम्नलिखित भूमि/भवन/क्षेत्र (किन्तु निम्न तल सीमित नहीं) पर स्थापित किया जा सकता है :-

- (1) संस्थागत/सरकारी/मल्टी स्टोरी बिल्डिंग/ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स/औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली इमारतों सहित आवासीय भवन।
- (2) स्ट्रीट इलेक्ट्रिक पोल, टेलीग्राफ पोल और अन्य संरचनाओं पर।

7.3.2 माइक्रो संचार उपकरण/पोल की स्थापना के लिए सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी/NOC/सहमति (अनुमति) प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया :-

TSP/IP, जैसा भी मामला हो, संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के लिए संबंधित स्थानीय प्राधिकरण, जिसमें वे माइक्रो सेल/लो पावर बीटीएस स्थापित करना चाहते हैं, के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी और दस्तावेजों के साथ भरा हुआ आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा, जैसा कि संबंधित क्षेत्र के लिए परिभाषित किया गया है। संबंधित स्थानीय प्राधिकरण टीएसपी/आईपी को परमिट/अनुमति जारी करेगा :-

- (i) DoT से प्रासंगिक लाइसेंस की प्रति/इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि।
- (ii) विवरण तालिका-
- (क) TSP/IP का नाम
- (ख) स्थान
- (iii) अग्नि सुरक्षा विभाग से निकासी की प्रतिलिपि केवल उंची इमारतों के लिए, जहां आग निकासी अनिवार्य है
- (iv) क्षतिपूर्ति बॉन्ड (मूल) टॉवर की वजह से होने वाली किसी भी हानि या चोट की देखभाल करने के लिए (इस आशय की घोषणा सहित कि आवेदक अग्नि सुरक्षा और बिजली के लिए आवश्यक सावधानी बरतेंगे और यह सभी प्रकार के मुआवजे का भुगतान करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और हर्जाना और वहाँ से उत्पन्न होने वाले मामले के लिए जिम्मेदार होगा)।
- (v) भवन/भूमि के मालिक से NOC की प्रतिलिपि, जिसमें मोबाइल टॉवर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है और सरकारी परिसर के मामले में अधिकृत व्यक्ति है।

7.3.3 आवेदन के अस्वीकृत होने की स्थिति में अपील की प्रक्रिया इस नियम के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

7.3.4 शुल्क :-

बिहार राज्य में आवेदक द्वारा सूक्ष्म संचार उपकरण की स्थापना के लिए एक बार अनुमति शुल्क लागू होगा:-

क्र० सं०	विवरण	नगर निगम (रु०)	नगर परिषद (रु०)	नगर पंचायत (रु०)	ग्रामीण क्षेत्र (रु०)
क	परमिट निर्गत करने के लिए एक बार लिया जाने वाला शुल्क	6000	5500	5000	1200

प्रत्येक वाई-फाई एंटेना या माइक्रो सेल से जुड़े यूटिलिटी बॉक्स के साथ माइक्रो सेल यूनिट की स्थापना के लिए, जो किसी भी सरकारी भूमि या भवन पर स्थित हो, प्राधिकरण शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये से अधिक वार्षिक शुल्क नहीं ले सकता है।

7.4 इन-बिल्ड सोल्यूशन (IBS) :

यह नियम इन-बिल्ड सोल्यूशन (IBS) की स्थापना को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है, जहां कार्यालय, शॉपिंग मॉल, अस्पतालों, बहु-मंजिला इमारत, शिक्षा संस्थानों के अंदर कमजोर सिग्नल की शक्ति के मामले में एक खराब कनेक्टिविटी है और मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता को मजबूत करना का उद्देश्य रखता है।

7.4.1 इन-बिल्ड सोल्यूशन की तैनाती की विधि :

इन-बिल्ड सोल्यूशन की तैनाती के विभिन्न तरीके होंगे -

7.4.1.1 संभावित मोड तटस्थ होस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता द्वारा निर्मित और मोबाइल ऑपरेटर द्वारा निर्मित और प्रबंधित होंगे, जो गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ साझा किये जाते हों।

7.4.1.2 इन-बिल्ड सोल्यूशन (IBS) को IP&I (इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर श्रेणी) द्वारा भी तैनात किया जा सकता है और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ साझा किया जा सकता है। इनडोर समाधानों की तैनाती के लिए इन कंपनियों को

भवन मालिकों से अनुमति की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, अगर इन आईपी-1 कंपनियों को IBS/DAS नोड्स को जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर स्थापित करना आवश्यक है, जिसके लिए RoW/अनुमतियों की आवश्यकता होगी तो तदनुसार अनुमति दी जाएगी।

7.4.2 अनुमति :-

इन-बिल्ड सॉल्यूशन कंपोनेंट में किसी भी प्रकार के भूमि/भवन/उपयोगिता पोल पर एक छोटा सा उपकरण स्थापित किया जा सकता है और स्थानीय प्राधिकरण से इन घटकों की स्थापना के लिए अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए संबंधित भवन का प्रशासनिक प्राधिकरण से अनुमति लेना आवश्यक है (यह केवल सरकारी भवनों के लिए लागू होगा और निजी भवनों के लिए इस तरह के NOC/सहमति की आवश्यकता नहीं होगी)।

7.4.3 विलयर्स/NOC/सहमति प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया :-

भवन में IBS को लागू करने के लिए ले-आउट आरेख के साथ भवन के प्रशासनिक अधिकारी/कार्यालय के प्रमुख के पास आवेदन किया जा सकता है (यह केवल सरकारी भवनों के लिए लागू होगा और निजी भवनों के लिए इस तरह के NOC/सहमति की आवश्यकता नहीं होगी)।

7.4.4 शुल्क :-

IBS के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, बिजली, फिक्सचर आदि के प्रावधान के लिए शुल्क वसूला जा सकता है, यदि वह TSP/IP द्वारा लिया गया हो।

8. ऑप्टिकल फाइबर केबल अवसंरचना के लिए मार्ग का अधिकार (ROW) :-

सड़कों के किनारे और अन्य स्थानों पर ऑप्टिकल फाइबर केबल (अंडर ग्राउंड और एरियल) बिछाने का काम लाइसेंसधारी द्वारा किया जाता है। लाइसेंसधारी को भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग, जल संसाधन विभाग, बियाडा, विद्युत वितरण कंपनियों, स्थानीय निकायों एवं राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अन्य प्राधिकारों तथा निजी मालिकों से भी सड़क, भूमि, बिजली आपूर्ति के खंभे, पुल आदि के साथ ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए उपयुक्त प्राधिकारों से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

बाधा-रहित रोलआउट के दृष्टिकोण से और ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए समय पर अनुमति देने के लिए विभिन्न प्राधिकरणों के लिए मार्ग का अधिकार देने की प्रक्रियाएं निम्नानुसार होंगी -

8.1 अनुमति देने की प्रक्रिया :-

- (i) आवेदक प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास और आवास विभाग को भूमि/पोल/पुल के उपयोग की अनुमति के लिए आवेदन करेगा, यदि दो जिले के अन्दर केबल बिछाने के लिए मार्ग की अनुमति 500 KM से अधिक है और/या यदि क्षेत्र दो से अधिक जिलों के अधिकार क्षेत्र में आता है।
- (ii) आवेदक मार्ग की अनुमति के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के तहत संबंधित जिला समाहर्ता के पास आवेदन करेगा, यदि मार्ग में 500 KM से अधिक नहीं है और जिलों में कई स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं। यदि मार्ग का क्षेत्र दो जिलों की सीमाओं में पड़ रहा है तो आवेदक जिला समाहर्ता से इसके लिए अलग से आवेदन करेगा।
- (iii) यदि अधिकार क्षेत्र के लिए ओएफसी बिछाने की आवश्यकता है और यह उसी स्थानीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो संबंधित स्थानीय प्राधिकरण परमिट जारी कर सकता है। पूरे जिला के प्रारंभ से अंत तक के लिए रूट परमिट केवल जिला समाहर्ता द्वारा दिया जा सकता है।
- (iv) राज्य स्तरीय दूरसंचार समिति या जिला स्तर की दूरसंचार समिति, जैसा भी मामला हो, समय-समय पर आवेदक को राइट-आफ-वे की मंजूरी में तेजी लाने के लिए समय-समय पर आवेदन की स्थिति की समीक्षा कर सकती है।
- (v) प्राधिकारी/विभागों द्वारा अनापत्ति आदेश जारी करने की अनुमति देते समय दी गई शर्तों को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर (TSP) या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स (IP) द्वारा अनुमति जारी किए जाने के 15 दिनों के भीतर अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- (vi) भारतनेट परियोजना के तहत, सरकारी भूमि के उपयोगकर्ताओं के लिए मार्ग के अधिकार की अनुमति निःशुल्क जारी की जाएगी या जैसा इस संबंध में समय-समय पर नोडल विभाग द्वारा तय किया जाए।
- (vii) यदि आवेदक ने आवेदन के साथ वन विभाग, जल संसाधन विभाग, स्थानीय प्राधिकरण, उद्योग विभाग, एनएचआई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग या राज्य अथवा केन्द्र या किसी एजेंसी द्वारा, अन्य राज्य संबंधित भूमि पर काम करने की वैध स्वीकृति के कागजात जमा किये हों तो संबंधित प्राधिकारी को उनके सहमति के लिए संबंधित विभागों को भेजने की आवश्यकता नहीं है और अनुमति दी जा सकती है।
- (viii) आवेदक को उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा, जिस पर ऑप्टिकल फाइबर केबल अवसंरचना की स्थापना और रखरखाव के लिए उपयोग करने की मंजूरी दी गई है।
- (ix) आवेदक योजना के कार्यान्वयन के दौरान संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान की मरम्मत/बहाली के लिए उत्तरदायी होगा। आवेदक भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए खुदाई की गई खाई को अच्छी तरह से भरना और संघनन करना भी सुनिश्चित करेगा, जिससे कि खाई खोदने से पहले उसी स्थिति में जमीन को फिर से

स्थापित किया जा सके, जिस हिस्से के लिए खाई खोदने के कारण उत्पन्न मलबे/ढीली धरती को साफ किया जाए, जिसके लिए राइट-ऑफ-वे प्रदान किया गया है।

(x) आवेदक ROW पर एकक्षत्र अधिकार का दावा नहीं करेगा और बाद वाले उपयोगकर्ता को या तो ऊपर या नीचे या पहले उपयोगकर्ता द्वारा रखी गई उपयोगिताओं की ओर से, तकनीकी आवश्यकताओं के अधीन होने के साथ अनुमति दी जाएगी।

(xi) अनुपालन न होने के दृष्टांत परिलक्षित होने की स्थिति में, नगर विकास एवं आवास विभाग या जिला समाहर्ता उस विभाग को निर्देश देगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में सड़क/भूमि पड़ती है, आवेदक/अनुदानदाता से एकत्र किए जाने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए कहेगा या अनुमति को रद्द कर सकता है।

(xii) किसी भी आवेदक द्वारा नियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी या संबंधित जिला समाहर्ता आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। यदि कारण बताओ नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो सेवा प्रदाता को जारी की गई अनुमति/अनापत्ति रद्द कर दी जाएगी।

8.2 भूमिगत दूरसंचार अवसंरचना (ओएफसी) की स्थापना और रखरखाव के लिए सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव/सचिव अथवा जिला समाहर्ता के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले निम्नलिखित समर्थित दस्तावेजों के साथ समर्पित किया जाएगा :-

- (i) केंद्र सरकार द्वारा दी गई लाइसेंस की एक प्रति
- (ii) प्रस्तावित भूमिगत टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर (ओएफसी) का ब्योरा
- (iii) कार्य के निष्पादन के लिए और समय की अवधि
- (iv) यदि आवेदक को दिन के विशिष्ट समय के दौरान काम करने की उम्मीद है, तो दिन का वह समय
- (v) पुनर्स्थापन आदि में वहन किये जाने वाले खर्च का विस्तृत ब्योरा, जो आवेदक द्वारा किये जाने वाले कार्य के फलस्वरूप लगेगा
- (vi) जनता को होने वाले संभावित असुविधाएं और इस तरह की असुविधा को कम करने के लिए प्रस्तावित विशिष्ट उपाय
- (vii) कार्य के निष्पादन के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित विशिष्ट उपाय
- (viii) विभिन्न राज्य सरकार के विभिन्न एजेंसियों/लोक उपक्रम या विभिन्न व्यक्तियों से उनके भूमि पर ओ.एफ.सी. केबल बिछाने के लिए प्राधिकार
- (ix) किए गए आवेदन के संबंध में संचार के प्रयोजनों के लिए आवेदक के कर्मचारियों के नाम और संपर्क विवरणी
- (x) आवेदक की राय में कार्य करने से संबंधित कोई अन्य तथा
- (xi) केंद्र सरकार या उपयुक्त राज्य सरकार या उपयुक्त स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से निर्दिष्ट किए गए संबंधित कार्य से जुड़ा या संबंधित कोई अन्य मामला।
- (xii) आवेदक, आवेदन करते समय, उचित प्राधिकारी को इस बात पर एक विशिष्ट प्रतिबद्धता देगा कि क्या वह कार्य के परिणाम के फलस्वरूप उचित और विवेकपूर्ण क्षति की बहाली के लिए जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा।
- (xiii) आवेदन और प्रस्तावित कार्य की जांच के लिए प्रशासनिक खर्च को पूरा करने के लिए प्रत्येक आवेदन नगर निगम के लिए 1200 रुपये प्रति किलोमीटर, नगर परिषद के लिए 1000 रुपये प्रति किलोमीटर और नगर पंचायत के लिए 800 रुपये प्रति किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 600 रुपये प्रति किलोमीटर के शुल्क के साथ होगा।

8.3 उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान करना :

- (1) स्थानीय प्राधिकरण निम्नलिखित मापदंडों के संबंध में आवेदन की जांच करेगा -
- (i) प्रस्तावित भूमिगत टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर और संभावित हस्तक्षेप के लिए नियोजित मार्ग, या तो ऐसे टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना या रखरखाव में, जो किसी अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के साथ प्रस्तावित मार्ग पर रखी गई हो;
- (ii) निष्पादन की विधि;
- (iii) कार्य के निष्पादन की समय अवधि और दिन का वह जब कार्य निष्पादित होना प्रस्तावित है;
- (iv) पुनर्स्थापन आदि में वहन किये गये खर्च का विस्तृत ब्योरा, जो प्राधिकार द्वारा आवेदक को दिया गया हो, को पूर्ति करने हेतु आवेदक द्वारा अन्डरटेकिंग दिया जायेगा।
- (v) किसी भी क्षति की पुनर्स्थापना के लिए वैसी जिम्मेदारी, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे;
- (vi) सार्वजनिक सुरक्षा और असुविधा को सुनिश्चित करने के लिए उपायों का मूल्यांकन, जो जनता द्वारा प्रस्तावित कार्य के परिणाम में और आवेदक द्वारा इंगित की गई ऐसी असुविधा को कम करने के लिए उपाय;
- (vii) केंद्र सरकार, उपयुक्त राज्य सरकार या उपयुक्त स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से भूमिगत टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर (ओएफसी) की स्थापना या रखरखाव से जुड़ा या संबंधित कोई अन्य मामला।

- (2) भूमिगत टेलीग्राफ इन्फ्रास्ट्रक्चर (ओएफसी) की स्थापना या रखरखाव के लिए किए गए आवेदन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर उपर्युक्त प्राधिकारी—
 - (i) ऐसी शर्तों पर अनुमति प्रदान करेगा, जिसमें समय, निष्पादन की विधि, सार्वजनिक असुविधा को कम करने या सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के उपाय (लेकिन इन तक सीमित नहीं) का उल्लेख या
 - (ii) लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ आवेदन को अस्वीकार करेगा
 - (iii) हालांकि, किसी भी आवेदन को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि आवेदक को इस तरह के अस्वीकृति के कारणों पर सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता।
- (3) स्थानीय प्राधिकारी लाइसेंसधारक द्वारा क्षति को बहाल करने के लिए जिम्मेदारी का निर्वहन करने, जो उपयुक्त प्राधिकरण को काम के परिणाम स्वरूप हो, हेतु ओएफसी के लिए अनुमति देते समय, बैंक गारंटी के रूप में इस तरह की नुकसान की बहाली के लिए खर्च के बदले में 50/- रुपये भूमिगत ओएफसी के प्रति रनिंग मीटर के हिसाब से ऐसे दायित्व को निर्वहन करने हेतु सुरक्षा के रूप में रखेगा। यह बैंक गारंटी प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग या जिला समाहर्ता या वैसे स्थानीय प्राधिकरण के पक्ष में तैयार की जाएगी, जो बिहार राज्य में ओएफसी बिछाने के लिए परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी हैं। क्षति के खिलाफ क्षतिपूर्ति से संबंधित मामले राज्य स्तरीय समिति या जिला स्तर की समिति (जैसा मामला हो) द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं और अनुपालन नहीं होने पर मुआवजा आवेदक द्वारा समर्पित बैंक गारंटी से समायोजित किया जाएगा।
- (4) स्थानीय प्राधिकरण भूमिगत ओएफसी स्थापित करने के लिए लाइसेंसधारक से इस नीति के तहत निर्धारित शुल्क के अलावा कोई शुल्क नहीं लेगा।
- (5) यदि राज्य कार्य योजना या जिला कार्य योजना संबंधित समिति द्वारा स्वीकृत किया गया हो तो ओएफसी0 बिछाने हेतु आवेदन प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर नगर विकास एवं आवास विभाग या जिला समाहर्ता द्वारा उसकी स्वीकृति अनिवार्य रूप से दी जायेगी।
- (6) निजी मकान/सम्पत्ति के मामलों में यदि संबंधित प्राधिकार द्वारा 60 दिन की निर्धारित तिथि के अन्दर ओएफसी0 बिछाने की स्वीकृति नहीं दी जाती है, तो यह माना जाएगा कि स्वीकृति दे दी गई है।

8.4 उपक्रम कार्य में लाइसेंस प्राप्त टीएसपी/आईपी की बाध्यता :-

- (i) आवेदक अनुमति प्रदान करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर और भूमिगत टेलीग्राफ ढांचे को बिछाने के काम की शुरुआत से पहले बैंक गारंटी जमा करेगा। हालांकि, उपयुक्त प्राधिकारी अपने विवेक से, आवेदक द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर खर्च की अदायगी या बैंक गारंटी जमा करने के लिए उक्त अवधि का विस्तार कर सकता है।
- (ii) आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि भूमिगत टेलीग्राफ बुनियादी ढांचे को बिछाने के काम के शुरू होने से पहले और उस दौरान हर समय सार्वजनिक असुविधा को कम करने और सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान करने के उपायों को लागू किया जाए और भूमिगत टेलीग्राफ बिछाने का कार्य किया जाए एवं उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमति देने में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार यह कार्य किया जाए।
- (iii) आवेदक सभी भूमिगत टेलीग्राफ इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयुक्त प्रौद्योगिकी यथा GIS Map इत्यादि के माध्यम से वास्तविक स्थान की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उपर्युक्त प्राधिकारी के लिए पोजीशनल इन्टेलीजेन्स का प्रावधान करना सुनिश्चित करेगा।
- (iv) आवेदक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मोबाइल टॉवर या ओएफसी0 बिछाने के क्रम में किसी सरकारी या निजी सम्पत्ति की क्षति नहीं की जायेगी। यदि किन्ही कारणों से क्षति होती है तो संबंधित प्राधिकार द्वारा निर्धारित किये गये समय के अन्दर उसको आवेदक द्वारा पुनर्स्थापित कर दिया जायेगा। यदि निर्धारित समय के अन्दर आवेदक ऐसा नहीं करता है तो संबंधित प्राधिकार द्वारा उसकी पुनर्स्थापना कर दी जायेगी और इसपर होनेवाले व्यय की राशि को आवेदक से समायोजित किया जायेगा।

8.5 कार्यान्वयन प्रक्रिया :-

- (i) सेवा प्रदाता सभी शर्तों को पूरा करने के बाद जिले में कार्य शुरू करेगा। सेवा प्रदाता को नगर विकास एवं आवास विभाग, संबंधित समाहर्ता और स्थानीय अधिकारियों (जो उपयुक्त हो), को कार्य की शुरुआत की तारीख की जानकारी देनी होगी।
- (ii) यदि आवेदक के काम से सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो यह आवेदक को खुद की लागत पर उसे बहाल करना होगा या क्षति की भरपाई करनी होगी। यदि किसी प्रकार की सेवा का वितरण प्रभावित होता है, तो आवेदक को 24 घंटे के भीतर सेवा को बहाल करना होगा और आवेदक को संबंधित विभाग के निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।
- (iii) विद्युत पोल का उपयोग करते समय आवेदक को बिजली के तारों से सुरक्षित दूरी पर ऑप्टिकल फाइबर स्थापित करना होगा।
- (iv) यदि विभाग सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का उद्देश्य रखता है, तो आवेदक को एजेंसी द्वारा सुझाई गई जगह पर अपनी लागत से खाई खोद कर उसे सुरक्षित दूरी पर स्थानांतरित करना होगा।

(v) आवेदक को ऐसे मामलों में जहां ऐसे रखरखाव की योजना पहले से हो, ऐसे मरम्मत या रखरखाव के काम के बारे में 3 दिन पहले संबंधित विभाग को सूचित करना होगा।

(vi) यदि इस कार्य में निजी भूमि या संरचनाओं का उपयोग किया जाना है, तो आवेदक को निजी भूमि या फसल (जैसा मामला हो) का मुआवजा देना होगा। किसी भी विवाद के मामले में, जिला समाहर्ता का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

8.6 ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) की स्थापना के लिए सड़क के किनारे राज्य एजेंसियों द्वारा निर्मित परमानेंट डक्ट :-

(i) आवेदक राजमार्गों, मुख्य सड़कों और जिला समाहर्ता या अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों के साथ राज्य एजेंसियों द्वारा निर्मित डक्ट का उपयोग करने के लिए पैरा 8.7 में परिभाषित उपयोगिता शुल्क का भुगतान करेगा। यह शुल्क राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा नामित एजेंसी द्वारा समय-समय पर तय की जाएगी।

(ii) ओएफसी नलिकाओं को पार्टियों के बीच आपसी सहमति की शर्तों पर अन्य ऑपरेटरों के साथ साझा करने हेतु प्रावधानित किया जाना चाहिए।

(iii) इन नलिकाओं का उपयोग करने और उपयोगिता की समीक्षा करने की अनुमति जिला समाहर्ता या संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के प्रमुख द्वारा की जाएगी।

(iv) किसी भी आवेदक को वैसे संरक्षण में सड़क के किनारे अलग खुदाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें स्थायी नलिकाओं का निर्माण किया गया है।

(v) राज्य एजेंसी द्वारा निर्मित नलिकाओं को ओएफसी केबल बिछाने हेतु उपयोग करने पर आवेदक से कोई बैंक गारंटी नहीं ली जाएगी।

8.7 सरकार उपयोगिता शुल्क/किराए पर भुगतान का उपयोग करने के लिए एजेंसियां टीएसपी/आईपी-1 को उपलब्ध कराए जाने वाले सामान्य लाभों के लिए यूटिलिटी डक्ट का निर्माण कर सकती है :-

बिल्ड-अप डक्ट का उपयोग करने के लिए ₹0 6 प्रति वर्ष प्रति रनिंग मीटर या जैसा कि समय-समय पर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तय किए जाए, की दर से उपयोगिता शुल्क/किराया लिया जाएगा।

8.8 बिजली के पोल और सरकार की अन्य उपयोगिता संरचनाओं का उपयोग करके एरियल ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए राइट ऑफ वे (ROW) :-

(i) एरियल ओएफसी बिछाने के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) पहाड़ी क्षेत्र में या जिला प्रशासन के निर्णय के अनुसार प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ii) आवेदक विद्युत पोल/वितरित नेटवर्क प्रणाली के उपयोग के लिए संबंधित विद्युत वितरण कंपनी (NBPDC / SBPDCL) के साथ एग्रीमेंट करेगा।

(iii) ऊर्जा विभाग / NBPDC / SBPDCL को केबल के किसी भी नुकसान या आवेदक को चोरी के कारण या किसी अन्य कारण से वाणिज्यिक संचालन के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। केबल की सुरक्षा की जवाबदेही पूरी तरह से आवेदक की होगी।

(iv) आवेदक स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालयों में उपयोगिता पोल के उपयोग के अधिकार के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा। यदि स्थानीय प्राधिकरण आवेदन को सभी आवश्यकताओं के अनुपालन के अनुसार पाता है, तो आवेदक को निर्धारित समय के भीतर परमिट जारी करेगा। आवेदन के साथ पोल की संख्या और मार्गों चार्ट के विवरण के अलावा पैरा 8.2 में उल्लिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाएगा।

(v) यदि एरियल केबलिंग का मार्ग एक से अधिक अधिकार क्षेत्र को कवर करता है, तो आवेदक परमिट जारी करने के लिए संबंधित क्षेत्राधिकारों के स्थानीय अधिकारियों को अलग से आवेदन करेगा।

8.9 एरियल (ओवर-ग्राउंड) ओएफसी बिछाने हेतु शुल्क :-

क्र० सं०	विवरण	शुल्क (₹0)
क	मार्ग के लिए अनुमति शुल्क (एक क्षेत्राधिकार की सीमा के अधीन)	6000
ख	किराया प्रतिवर्ष प्रतिपोल	120 नगर निगम के लिए 110 नगर परिषद के लिए 100 नगर पंचायत के लिए 60 ग्रामीण क्षेत्र के लिए

9. अन्य नियम और शर्तें :

9.1 राज्य कार्य योजना :-

प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में राज्य दूरसंचार समिति राज्य दूरसंचार कार्य योजना को मंजूरी देगा। एसटीसी अपने अंतिम अनुमोदन से पहले डीटीसी द्वारा अनुमोदित जिला कार्य योजना को भी सत्यापित करेगा।

9.2 जिला कार्य योजना :-

जिला समाहर्ता की अध्यक्षता में जिला दूरसंचार समिति भूमिगत/एरियल ऑप्टिकल फाइबर बिछाने, मोबाइल टॉवर और अन्य दूरसंचार अवसंरचनाओं की स्थापना के लिए जिला कार्य योजना तैयार करेगी। समिति ओ.एफ.सी. बिछाने हेतु गांव, निजी भूमि, राजस्व विभाग की भूमि/स्थानीय प्राधिकरण की भूमि/ग्रामीण विकास विभाग / वन / खनन, राष्ट्रीय उच्च मार्ग, राज्य सड़कों और बिजली लाइन नेटवर्क आदि को ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए चिन्हित करेगी। समिति टॉवरों और ओएफसी बिछाने के लिए उपयोग करने के लिए विभिन्न विभागों /स्कूलों / कॉलेजों / सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व वाली इमारतों या संपत्ति का भी पता लगाएगी, जो टॉवरों और ओएफसी बिछाने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं।

जिला स्तरीय कार्य योजना का मसौदा तैयार करने के बाद, इसे राज्य स्तरीय समिति के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य स्तरीय समिति द्वारा दिए गए सुझाव और संशोधनों को अंतिम जिला कार्य योजना में शामिल किया जाएगा।

9.3 आवेदकों को शुल्क की वापसी :-

यदि अनुमति के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो भुगतान किया गया शुल्क प्रशासनिक शुल्क के रूप में 20% की कटौती के बाद अस्वीकार करने की तिथि से एक महीने के भीतर आवेदक को वापस कर दिया जाएगा।

9.4 दंडात्मक कार्रवाई की निषिद्धता :-

मोबाइल संचार, जो एक आवश्यक सेवा है, में व्यवधान से बचने के लिए किसी भी शिकायत या ईएमएफ उत्सर्जन से संबंधित मामले को नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार की सहमति के बिना मोबाइल संचार टावरों को सील नहीं किया जा सकता है या विद्युत का विच्छेदन नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों में 90 दिनों की अनिवार्य अग्रिम सूचना, प्रस्तावित कार्रवाई का उल्लेख करते हुए, आवेदक को टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ कोई भी कदम उठाने के पूर्व दिया जाना चाहिए।

9.5 जुर्माना :-

यदि कोई आवेदक इस नियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो यह निम्नलिखित प्रावधानों और शर्तों के अनुसार दंडित किया जा सकता है -

- (i) जैसे ही नोडल कार्यालय को यह पता चलता है कि किसी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है, TSP/ IP को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, नोटिस की सेवा की तारीख से 15 दिनों के भीतर TSP / IP को उसका जवाब देना होगा।
- (ii) यदि उत्तर संतोषजनक नहीं है, तो आवेदक से 30000 रुपये तय शुल्क लिया जाएगा। यदि निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर राशि जमा नहीं की जाती है तो प्राधिकारी द्वारा आवेदक से बैंक गारंटी से जुर्माना राशि वसूल की जा सकती है।

9.6 आवेदन की अस्वीकृति :-

- (i) यदि किसी भी संबंधित एजेंसी ने नकारात्मक टिप्पणी दी है और अध्यक्ष प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए ऐसी टिप्पणी को पर्याप्त मानते हैं।
- (ii) कोई अन्य प्रासंगिक आधार, जिस पर सिंगल विंडो समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाए।

9.7 बैंक गारंटी और उसका जब्तीकरण :-

ओएफसी के भूमिगत बिछाने के लिए एक वर्ष की वैधता के साथ एक परफार्मेंस बैंक गारंटी, प्रत्येक आवेदक (आईपी/टीएसपी) द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो भूमि/पोल और अन्य संपत्ति की अनुचित बहाली, व्यवधान, किसी भी सेवा आदि में विफलता के खिलाफ सुरक्षा के रूप में रखी जाएगी। बैंक गारंटी निम्नलिखित मामलों में जब्त कर ली जाएगी :-

- (i) आवेदक द्वारा पुनर्बहाली के काम को अच्छा बनाने के दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहने पर।
- (ii) यदि आवेदक समय के विस्तार के बावजूद, अपने अंडरटेकिंग के अनुसार कार्य करने में विफल रहा।
- (iii) कार्यों के निष्पादन के दौरान सुरक्षा और सावधानियों के उपायों की कमी के कारण नियमित दुर्घटना या घटनाएँ होने पर।

यदि उपर्युक्त मामले में, परफार्मेंस बैंक गारंटी को जब्त किया जाता है तो आवेदक को इस तरह के जब्ती के एक महीने के भीतर आवश्यक परफार्मेंस बैंक गारंटी को फिर से भरना और बहाल करना होगा।

9.8 जन शिकायतों का निवारण :-

टावरों की स्थापना और टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जन शिकायतों को प्रभावी ढंग से दूर करने हेतु इस नियम के अन्तर्गत जिला स्तरीय दूरसंचार समिति और राज्य स्तरीय दूरसंचार समिति का गठन किया जा रहा है।

9.9 आवेदक को विद्युत शक्ति की उपलब्धता :-

मोबाइल संचार टॉवर के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा होने के कारण ऊर्जा विभाग द्वारा मोबाइल टावर्स और टेलीकॉम उपकरणों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी। विद्युत वितरण कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि विद्युत संबंध विच्छेदन आवश्यक हो तो उसे संबंधित आईपी और टीएसपी को कम से कम 30 दिनों के पूर्व लिखित नोटिस के बाद क्रियान्वित किया जाए।

9.10 नियमितीकरण / कम्पाउण्डिंग :-

मौजूदा अनाधिकृत मोबाइल टावरों या ओ.एफ.सी. के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन इस नियम के जारी होने के छह महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जिस अवधि के बाद इस मामले को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित किया जाएगा। नियत समय के भीतर आवेदन जमा होने के बाद, संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आवेदन के निपटान तक मोबाइल टॉवर अथवा ओ.एफ.सी. का संचालन बंद नहीं किया जाएगा। यदि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी भी अनाधिकृत मोबाइल टावरों या ओ.एफ.सी. की स्वीकृति नहीं दी जाती है तो उसकी अपील सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दायर की जा सकती है।

इस नियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद डीटीसी अथवा एसटीसी के समक्ष ऐसी किसी भी अपील को दायर करने और/या लंबित रहने के दौरान मोबाइल टॉवर अथवा ओ.एफ.सी. का संचालन बंद नहीं किया जाएगा।

9.11 सहायक उपकरण :-

आईपी/टीएसपी द्वारा मोबाइल टावर, ओएफसी और अन्य दूरसंचार बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक किसी भी प्रकार के सहायक उपकरण की व्यवस्था किया जाना चाहिए और इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

- (i) उपकरणों को रखने के लिए शेल्टर रूम
- (ii) बैटरी / सौर ऊर्जा / डीजल जनरेटर / बिजली का वैकल्पिक स्रोत
- (iii) सुरक्षा उपकरण जैसे लाइटनिंग प्रोटेक्टिंग सिस्टम, अर्थलिंग सिस्टम, अग्निशमन उपकरण आदि।
- (iv) सामान्य प्रकाश व्यवस्था, फेंसिंग / चहारदीवारी आदि।
- (v) समय-समय पर DoT द्वारा निर्देशित स्टैच्यूटरी साइनेज।

9.12 अनुशंसाओं की बाध्यकारी प्रकृति :-

डीटीसी या एसटीसी, जैसा भी मामला हो, की सिफारिश, स्थानीय अधिकारियों, प्रासंगिक विभाग, पुलिस, टीएसपी/आईपी या विषय से संबंधित किसी अन्य प्राधिकारी के लिए बाध्यकारी होगी।

9.13 NOFN (राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क) / Bharatnet :-

भारतनेट परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि के उपयोग के लिए मार्ग के अधिकार की अनुमति निःशुल्क जारी की जाएगी या समय-समय पर नोडल विभाग द्वारा तय की जाएगी।

9.14 साईट/यूटिलिटी की साझेदारी :-

आवेदक अपने संबंधित एंटेना/अन्य सक्रिय उपकरणों को लगाने के लिए कई टीएसपी के साथ टावरों को साझा कर सकते हैं।

9.15 भुगतान की विधि :-

मोबाइल टॉवर, ओएफसी और अन्य प्रासंगिक दूरसंचार बुनियादी ढांचे के लिए लागू शुल्क नियमों में निर्दिष्ट सक्षम अधिकारियों के पक्ष में निर्धारित डीडी/चालान के रूप में भुगतान किया जाएगा।

9.16 स्थानीय प्राधिकार की मोबाइल टावर और ओएफसी और अन्य संबंधित दूरसंचार बुनियादी ढांचे को हटाने का अधिकार-

किसी भी टेलीग्राफ अवसंरचना की संबंधित प्राधिकार द्वारा स्थापना के बाद से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर, उस पर, उसके उपर या उसके नीचे या आर-पार उस संबंधित प्राधिकार के नियंत्रण में या उसके अधीन किसी भी अचल संपत्ति के संबंध में ऐसे टेलीग्राफ अवसंरचना को हटाने अथवा परिवर्तित करने के लिए आवेदक, जो इस तरह के टेलीग्राफ इन्फ्रास्ट्रक्चर का मालिक है, को नोटिस जारी करेगा।

ऐसा नोटिस प्राप्त होने पर, आवेदक तीस दिनों के भीतर, संबंधित प्राधिकारी को, ऐसे टेलीग्राफ इन्फ्रास्ट्रक्चर को हटाने या परिवर्तित करने के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करेगा।

उपयुक्त/स्थानीय प्राधिकार द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई ऐसे विस्तृत योजना की जांच के बाद ऐसा आदेश पारित किया जाएगा, जैसा वह उचित समझे-

बशर्ते कि ऐसे टेलीग्राफ इन्फ्रास्ट्रक्चर को हटाने या बदलने की आवश्यकता वाली आकस्मिक और समीचीन परिस्थितियों के संबंध में उपयुक्त प्राधिकारी को, ऐसे टेलीग्राफ इन्फ्रास्ट्रक्चर को हटाने या बदलने के लिए आवेदक को उचित समय प्रदान किया जाएगा;

और बशर्ते कि इस तरह के टेलीग्राफ इन्फ्रास्ट्रक्चर को हटाने या बदलने के लिए लागत और दायित्व और जिम्मेदारी सहित लागत आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा।

9.17 राज्य/केंद्रीय प्राधिकारों के विभिन्न यूटिलिटी सेवा प्रदाताओं द्वारा निर्माण/ मरम्मत कार्य-

विभिन्न यूटिलिटी सेवा प्रदाताओं की एजेंसियों यथा बिजली (NBPDC/ SBPDCL), पानी की आपूर्ति पाइप, गैस पाइप, सीवर, RoW वर्क्स (BCD/ RCD / NHAI) आदि द्वारा ऑप्टिकल केबल (OFC) के लिए विशिष्ट संरक्षण में नए निर्माण/मरम्मत कार्य किए जाने समय संबंधित स्थानीय प्राधिकार और टीएसपी/आईपी प्रदाताओं को भी काम शुरू होने से 15 दिन पहले सूचित किया जाएगा ताकि टीएसपी/आईपी को ओएफसी को दूसरी जगह हटाने अथवा वैकल्पिक मार्ग के स्थानांतरण की योजना बनाई जा सके, जिससे मोबाइल/इंटरनेट सेवाओं में व्यवधान से बचा जा सके।

चूंकि TSP / IP टेलीकॉम सेवाएं प्रदान/समर्थन कर रहे हैं, अतः टेलीकॉम इंस्टालेशन के विद्युत संबंध का विच्छेद कम से कम 15 दिन पहले संबंधित TSP / IP को पूर्व सूचना दिए बिना नहीं किया जाएगा।

9.18 विवाद समाधान :-

लाइसेंसधारी और स्थानीय प्राधिकरण/निकाय के बीच किसी भी विवाद का निवारण निम्नलिखित चरणों में किया जा सकता है :-

- (i) जिला स्तरीय दूरसंचार समिति किसी प्रकार के विवाद के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकार होगा।
- (ii) यदि आवेदक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकार के निर्णय के 30 दिनों के भीतर प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय दूरसंचार समिति को द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के रूप में अपील कर सकेगा।
- (iii) यदि आवेदक द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह भारतीय टेलीग्राफ अधिकार मार्ग नियम, 2016 के तहत विवाद समाधान के लिए नामित अधिकारी के समक्ष द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के निर्णय के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकेगा।

9.19 नियम में परिवर्तन -

इस नियम को वैसे परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए उपयुक्त रूप से परिवर्तित किया जा सकेगा, जो दूरसंचार विभाग, भारत सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्रौद्योगिकी या विनियामक परिवर्तनों के किये जाने के कारण आवश्यक हों, ताकि इस नियम को गतिशील रूप से बदलती प्रौद्योगिकी नियमांक व्यवस्था या किसी अपरिहार्य कारणों से होने वाले परिवर्तनों के मद्देनजर यथाआवश्यक परिवर्तनशील रखा जा सके।

10. निर्वचन -

इस नियम के अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण के प्रावधानों की व्याख्या करने में किसी भी अस्पष्टता या अंतर के मामले में, इस नियम के अंग्रेजी संस्करण का प्रावधान लागू होगा।

11. निरसन और व्यावृत्ति :-

1. बिहार संचार टावर्स और संबंधित संरचना नियम, 2012 को इसके द्वारा निरस्त की जाती है और वह प्रवृत्त न रह जाएगी।
2. इस तरह के निरसन के बावजूद ऐसा कोई भी कार्य, जो उक्त निरस्त नियम के अंतर्गत किया गया हो अथवा किया गया प्रतीत हो, को उस सीमा तक, जहां तक वह इस नियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, के संबंध में ऐसा माना जाएगा कि वह इस नियम के संगत प्रावधानों के तहत किया गया है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार झा,
 सरकार के संयुक्त सचिव।

Appendix to The Rule**Appendix-A**

**Application for Issue of Permission For
Establishment of Mobile Towers, OFC and Other Telecom Related
Infrastructure in the State of Bihar.**

Ref No

Date/...../.....

To

(Use of Capital Letters Only)

A	Address of the Applicant		
1	Name of the IP/TSP		
2	Address for correspondence	Plot/Flat No	
		Street/Road	
		Village	
		City/Town	
		District	
		Pin	
		Contact No	
3	Authorized person with designation	Name	
		Designation	
		Mobile No	
		e-Mail	

B		Proposals					
1	Mobile Towers	GBT ☐ RTT ☐ RTP ☐					
2	ROW OFC	Underground ☐ Aerial ☐					
3	COW						
4	Micro Cell						
C		Location of the Proposed Site/Route					
C 1		Mobile Towers					
	Owner of the land/Building	Govt/PSU/Private					
	Name of the owner/ Authorized Person						
	Plot/Flat/Premises Nos						
	Sanctioned Layout No if Any.						
	Road/Street						
	Ward/Block No/Village						
	Land Mark						
	City/Town, District						
	Plot Size		Khata No		Mouza		
	Ownership Document		Aggre. No		Date		
C 2		ROW OFC - Underground					
	Rout Permit	From		To			
	Area in Sq. Meter/KM						
	District under coverage	Dist 1		Dist 2		Dist 3	
	Land Under The Ownership (In Sq Meter/ KM)						
	Rural Authority		Urban Authority				
	Forestry		NHAI				
	PWD		RD				
	Central Authority		Private				
	PSU		Revenue				
	Others if any						
C3		ROW – Aerial OFC					

	Rout Permit	From		To	
	Area in Sq.Meter/KM				
	Number of poles to be used				
	Permit from Dept of Energy/Company like CESU				

C4	MICRO Cell				
	Owner of the land/Building	Govt/PSU/Private			
	Name of the Owner				
	Plot/Flat/Premises Nos				
	Road/Street				
	Land Mark				
	CITY/Town, District				
	Ownership Document	Agreement No, if any		Date	

D	Fees				
	Installation Fees (`)				
	Demand Draft /Challan Number				
	Drawn in favour of				
	Date				
	Drawing Bank				
	Payable at				

E	Documents as per requirement	Enclosed (Y/N)
	Copy of relevant license or Infrastructure Provider Registration Certificate from DoT.	
	Copy of structural stability certificate for Roof-Top Towers	
	Copy of the type test certificate issued by Automotive Research Association of India (ARAI) or any other authorized Agency to the manufacturers of the Diesel Generator (DG) Sets	
	Copy of clearance from Fire Safety Department, if applicable	
	Copy of clearance from State Environment & Forest Department, if applicable.	
	Drawing of the tower along with specifications of foundations and design parameters.	

	Indemnity Bond (Original) to take care of any loss or injury to accident caused by the tower.	
	Three copies of Location Plan, Site Plan, Elevation Plan and Structure plan.	
	Copy of NOC from building /land owner or Authorised Personnel	
	Rout plan along with GIS Map only for laying OFC	
	Prescribed Fees for Permission	
	NOC from NHAI, ASI, Airport Authority if required	
	Other documents if any prescribed under this rules	
	Any other certificates/NOC required by the authority from time to time	

Certified that all the information /documents furnished above are authentic and true to best of my knowledge.

Name of Authorized Official	
Designation	
Signature with Seal of the Organization	
E-Mail	
Tele No.	
Mobile No.	
Date	

*The 19th August 2020***BIHAR MOBILE TOWER, OPTICAL FIBRE CABLES (OFC) AND RELATED TELECOM INFRASTRUCTURE RULES - 2020'**

No. 05 na.vi./vividh-66/2020-2897/UDHD--In exercise of powers vested under Section 127(1) and 419(1) of the Bihar Municipal Act, 2007, (as amended from time to time) the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules 2020 in respect of Tax on Mobile Tower, Optical Fiber cables (OFC) and related Telecom Infrastructure, the draft of which is hereby previously published as required under section 127(1) and 419(1) of aforesaid Act.

Background:

The subject "Telecommunication" which includes, telephones, wireless, data and telemetric services is a Central subject under Ministry of Communication, Govt. of India. It is a well-known fact that the Telecom sector has a multiplier impact on the economy, contributes to economic growth and the GDP., Government of Bihar will provide enabling infrastructure for telecommunication service to promote industrialization and development of the industrially backward district of the State.

With the rapid growth in the wireless / broadband subscriber base, subscribers are availing a host of new applications like M-banking, high speed data transfer, cashless services, accessing social networking sites, Online Citizen Centric Services, gaming, mobile TV, high speed internet access, VPN services etc. which is ensuring better e-Governance and enhances the knowledge base of the people. The tele-density is a standard measurement for growth of telecom service which is number of subscribers per 100 population. **The Tele-density of Bihar is 62.54 which is less than the national average of 91.82 (as per TRAI press release no.22/2019).**

Though Telecommunication is a Central subject, the support of the State is necessary to provide enabling provisions in the form of granting permissions to Telecom Service Providers/ Infrastructure Providers (IPs) to establish their resources which use public/private properties. The Advisory guidelines for State Government issued by Department of Telecommunications in 2014 laid down a procedure to be adopted by various Government bodies/ local bodies to accord permission to various Infrastructure Providers / licensed operators in telecom sector to establish/augment their infrastructure resources for growth of telecom in the State of Bihar, suggesting Single Window clearances, formation of State/District level Committees for addressing public grievances, etc.

Objectives:

- i. Streamline the process of application and grant of permission for Installation of Mobile Tower, laying of OFC, In-Building solutions and other telecom infrastructures within the specified time line. This will help Telecom Service Providers, Infrastructure providers having licenses from Urban Development & Housing Department to obtain permission with a given time frame.
- ii. Encourage the development of Telecommunication network in remote, hilly affected areas of Bihar.
- iii. Establishment of modern telecommunication infrastructure to provide high speed internet in Municipal Corporation, Nagar Parishad, Nagar Panchayat and Rural areas.
- iv. Ensuring good quality Internet in the areas where mobile connectivity exists and also improve terrestrial Broadband connectivity in urban and rural areas.

1. Short title, extent, applicability and commencement:

- (a) This Rules may be called the **“Bihar Mobile Towers, OFC and related Telecom Infrastructure Rules, 2020”**
- (b) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (c) It shall come into force from the date of its publication in the Gazette.
- (d) It shall be administered by the Urban Development and Housing Dept. Govt. of Bihar.
- (e) The rule shall not be in violation or super-session of the provisions contained in the Indian Telegraph Act, 1885, Tower guidelines issued by DoT 2014, Indian Wireless Telegraphy Act 1933 and Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016 in any way.

This Rule is intended to amend any existing notifications, circulars, rules, bye-laws, regulations where ever necessary regarding obtaining permission from various authorities in the State of Bihar and the concerned Department shall issue necessary notification in accordance with this Rules.

2. Definition:

In this Rule, unless otherwise required in the context:—

- (a) “State” means State of Bihar.
- (b) “licensee” means any person holding a license issued under section 4 of the Indian Telegraph Act , 1885;
- (c) “Applicant” means any IP-1or TSP who makes an application seeking permission to establish and maintain of Telecom Infrastructure.
- (d) “Application” means the application for single window clearance for the establishment and maintenance of Telecom Infrastructure.
- (e) “Application Form” or “Form” means the form appended to this rule;
- (f) “Fees” prescribed under this rule on Telecom Infrastructure include administrative fees, permission charges, usage fees, utility fees as prescribed in this rule or any other tax or levy etc. that may be payable under any law; The fees or annual charges do not include GST, Labour Cess & other applicable Taxes.
- (g) “Permission” means any permission pertaining to this Rules for Telecom Infrastructure.
- (h) “Appropriate authority” means the local authority or such authority, established by the State Government, in respect of property, under, over, along, across, in or upon which underground or over ground telecom infrastructure, is to be established or maintained, vested in, or under, the control or management of such appropriate authority.
- (i) “Nodal Authority” means Principal Secretary / Secretary, Urban Development & Housing Dept., Govt. of Bihar is responsible for preparation of the rule for execution of it.
- (j) “Areas” means areas under the jurisdiction of appropriate authority:—
 - i. Municipal Corporations
 - ii. Nagar Parishad
 - iii. Nagar Panchayat
 - iv. Rural Area
 - v. Forest Area

- iv. Any other area falling within the jurisdiction of State Authorities.
- (k) “Local Authorities and Nodal officers” designated from various Departments to give the permission for use of the Government properties are as mentioned below:

Area	Department	Local Authorities
Municipal Corporation	Urban Development	Municipal Commissioner
Nagar Parishad	Urban Development	Executive Officer
Nagar Panchyat	Urban Development	Executive Officer
Rural Area	Panchayati Raj	Block Development Officer
Government Building	Related Departments	Head of the Department (Looking after the concerned building) or an officer nominated by him
Forest land	Forest & Environment Deptt.	Divisional Forest Officer
Overhead electric alignment (RoW for utility Poles)	NBPDCL, SBPDCL	Respective Executive Engineers of areas of jurisdiction.

- (l) “Telecom Infrastructure” means the over ground telegraph infrastructure and underground telegraph infrastructure as defined in Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016 and includes:—
- Optical Fibre Cable – underground or over ground (Aerial).
 - Mobile Towers - Ground base towers [GBT], Roof Top towers [RTT], Roof top poles[RTP,
 - Cell on Wheel [CoW]
 - In Building Solution & Micro Communication Equipment (Micro Cell), or any other appliances, apparatus, etc. necessary for the effective establishment & maintenance of telecom services.
- (m) “Micro Communications Equipment” means a Pico/ Micro/ Pole site which is small in size and light in weight, deployed on buildings, utility/ streets poles, street furniture, indoors in large buildings viz: malls convention centers and in areas having space constraints, narrow streets, dense populated areas and open public spaces.
- (n) “Telecom Service Provider (TSP)” means a licensee providing telephony services, including, *inter alia*, mobile phone services, internet and data transfer services etc.
- (o) “Infrastructure Provider (IP)” means Infrastructure providers registered with Department of Telecommunications to set up Telecom Infrastructures in India.
- (p) “Municipal Corporation, Nagar Parishad, Nagar Panchayat” means an institution of Local Self-Government constituted under “The Municipal Act,”, Bihar 2007.

- (q) "Local body" means Municipal Corporation, Nagar Parishad, Nagar Panchayat, Gram Panchayat etc.
- (r) "Urban and Rural Area": are as follows -
 - i. All area within municipal Corporation, Nagar Parisad and Nagar Panchyat shall be consider as urban areas.
 - ii. Rest of the areas will be considered as Rural Areas.
- (s) "Public Grievance" means Grievances of Public relating to installation of towers and issues related to Telecom Infrastructure.

3. Nodal Department:

For the implementation and coordination of this Rules the Urban Development & Housing Department shall be Nodal Department. The Urban Development & Housing Department shall notify the Nodal Officer of appropriate authority for the implementation of the Rule.

To overcome the difficulties in the implementation of the above Rule, necessary interpretation, clarification, instruction will be issued from time to time by the Urban Development & Housing Department.

3.1 Online application process & disclosure of the application:

The State Government / Nodal Department may establish a single electronic application process for all nodal authorities under its control or will delegate to appropriate authority to develop an electronic application process, within a period of 6 months from the date of notification of this Rules for submission of applications.

Till such application process is developed, the appropriate authority shall, on receipt of the application, place the application along with all documents received in its website. If the authority does not have the website, it shall issue a public notice in such form and manner as it may deem fit.

4. Formation of Committees:

4.1 District Level Telecom Committee:—

There shall be District Level Telecom Committee (DTC) in each District. DTC shall consist of the following members:—

- i. District Collector, Chairman
- ii. Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer, Zila Parishad
- iii. Divisional Forest Officer, Forest Department.
- iv. Superintendent of Police
- v. An Officer designated by District Collector as the Convener
- vi. Executive Engineer, Building Construction Department (BCD)
- vii. Executive Engineer, Road Construction Department (RCD)
- viii. All Municipal Commissioners or Executive officers of the concerned ULBs in the District
- ix. District head of BSNL
- x. Circle Head of each Telecom Infrastructure Service Provider or his representative
- xi. One Eminent Persons nominated by the Chairman

4.1.1 Role of the District level Telecom Committee:—

- i. DTC shall deal with public grievances relating to installation of Towers and Issues related to telecom infrastructure in the respective district. DTC

shall convene meeting & resolve the public grievances in a time bound manner within 30 days of the complaint, if any.

- ii. The recommendations of DTC shall be adhered to by Municipal Corporation/Nagar Parishad / Nagar Panchayat / Gram Panchayat or any other authority related to the subject in the District.
- iii. Approval of the District level action plan and submitting it for State Level Telecom Committee for approval.

District Level Telecom Committee is the **first appellate authority** to deal with the matters related to the grievances and on the order of Collector, the committee will sit to review the Public grievances related to Telecom infrastructure in the jurisdiction of the specific District.

DTC shall also convene and arrange the 'Public Awareness Programmes' in different Districts as per the application of the Infrastructure Provider to make people aware of the requirement and necessity of installation and maintenance of Telecom Tower / Telecom Infrastructures as the life line and/or critical installation for telecommunication services.

4.2. Second Appellate Authority:

The party aggrieved with the decision of the first appellate authority may prefer for an appeal to State Level Telecom Committee (STC) headed by the Principal Secretary / Secretary, Urban Development & Housing Department, Govt. of Bihar, as the **Second Appellate Authority**, within 30 days of such decision of 1st Appellate Authority and the authority shall have powers to amend, cancel or endorse the decisions of 1st Appellate Authority.

4.3 State Level Telecom Committee (STC) :

State Level Telecom Committee (STC) shall consists of following members -

- i. Principal Secretary / Secretary, Urban Development & Housing Department– Chairman
- ii. Principal Secretary / Secretary, Home Department or his representative (not below the rank of Joint Secretary),
- iii. Principal Secretary / Secretary, Revenue & Land Reforms Department or his representative (not below the rank of Joint Secretary),
- iv. Principal Secretary / Secretary, Disaster Management Department or his representative (not below the rank of Joint Secretary),
- v. Principal Secretary / Secretary, IT Department or his representative (not below the rank of Joint Secretary),
- vi. Principal Secretary / Secretary, Environment Forest & Climate Change Department or his representative (not below the rank of Joint Secretary),
- vii. Principal Secretary / Secretary, Building Construction Department or his representative (not below the rank of joint Secretary),
- viii. Principal Secretary / Secretary, Road Construction Department or his representative (not below the rank of joint Secretary),
- ix. State Head, of BSNL or his representative
- x. State Head, of Each Telecom Service Provider or his representative
- xi. State Head, of Each Infrastructure Service Provider or his representative
- xii. State Head, NHAI
- xiii. One Eminent person nominated by Chairman

- xiv. Representative of Urban Development and Housing Department (not below the rank of joint Secretary), Govt. of Bihar as Convener

4.3.1 Role of State level Telecom Committee (STC):

- i. STC shall act as the Appellate Authority of DTC
- ii. STC shall have powers to amend, cancel, and endorse the decisions of the DTC or to remand back to DTC for considering afresh.
- iii. The recommendations of STC/DTC shall be adhered to by Municipal Corporation /Nagar Parishad / Nagar Panchayat or any other authority mentioned as Local Authority.
- iv. STC shall approve the State Action Plan after reviewing and can suggest changes if required.

5. Authorities for issuing permission for Mobile Towers:

Local Authority which includes Municipal Commissioner or Officer Authorized by him, Executive Officer of Nagar Parishad / Nagar Panchayat or Officer designated by him, Block Development Officer of Rural Area, Divisional Forest Officer, etc. as defined at rule 2(k) will receive and scrutinize the applications for issue of permit in their respective area for establishment of Telecom Infrastructure as defined at rule 2(l) relating to the following:—

- a. Mobile Towers - Ground base towers [GBT], Roof Top towers [RTT], Roof top poles[RTP],
- b. Cell on Wheel [CoW]
- c. Micro Communication Equipment (Micro Cell),
- d. Optical Fibre Cable – overhead as well as underground.
- e. Other appliances and apparatus as per Indian Telegraph Act 1885

6. Role of Local Authorities:

- (i) Respective Local Authorities will collect application from the licensed TSP/IP in the specified format along with the requisite document and administrative fees to give the permission for establishment of Mobile Towers (GBT, RTT, and RTP) & laying Optical Fibre Cables under their jurisdiction and Telecom Infrastructure.
- (ii) Respective Local Authorities will scrutinize the application to check the compliances requirements as per this Rules.
- (iii) Communicating to the Applicant about any further requirement in compliances for the issue of permission.
- (iv) Finally, the concerned Local Authorities will issue the permit within the specified time frame.
- (v) Periodical Monitoring and Review of the Tower Structure, OFC or any activities related to telecom infrastructure.
- (vi) Report to the Concerned District Collector about the status of Mobile Towers and progress of other Telecom Infrastructure in their jurisdiction once in a year or as desired.

7. Permission for Mobile Towers, Cell on Wheel, Micro-Communication equipment, In Building Solutions, etc.

7.1. Mobile Towers

Based on the installation type, mobile towers are further classified as Ground Based Towers (GBT) or Roof Top Towers (RTT) or Roof top poles [RTP].

7.1.a. Ground Based Towers

These towers are erected on natural ground with suitable foundation. These towers have high load bearing capacity and are suitable for hosting outdoor Antenna, fixtures, etc.

7.1. b. Roof Top Towers

These types of towers are erected on top of the roofs of existing buildings with iron structures, columns and tie beams. The towers are intended for hosting Antenna, fixtures, etc.

7.1. c. Roof top poles

These types of poles are erected on top of the roofs of existing buildings intended for hosting smaller Antenna, fixtures, etc.

7.1.2. Places Permissible for Erecting Towers:

The mobile communication towers being essential and critical infrastructure and public utility services, there shall be no restriction of location unless restricted by order of Authority/ Courts of law. The mobile communication towers can be installed at all locations regardless of its specified land use including but not limited to:—

- i. All types of Residential/Multi Storey Buildings/Group Housing Buildings
- ii. All types of Industrial/Commercial Buildings
- iii. All types of Institutional Building/Hospitals
- iv. Vacant Lands like parks, playground, forest land and land earmarked for public amenities
- v. Land and Building under the jurisdiction of Government Departments/ Govt. controlled bodies / State PSU.

7.1.3. Validity of permission issued:

The permission /permit issued under this rule to any Applicant shall be co-terminus with validity of License issued to TSP/Registration certificate issued to IP-1.

7.1.4 Procedure for submitting application for establishment of Mobile Tower.

The Applicant shall submit application with all the relevant information mentioned in the specified form as annexed (Appendix-A) to the office of local Authority for the area in which they want to install mobile tower. The concerned Local Authorities as defined in Rule 5 will issue permit to the licensee.

Following information and supporting documents are required to be attached along with the applications for establishment of Mobile Tower:—

- (i) a copy of the Registration certificate/license granted by the Department of Telecommunication; Govt. of India.
- (ii) Data Sheet
 - (a) Name of Applicant Company i.e. IP-1/License, as the case may be.
 - (b) Tower Type: GBT, or RTT or RTP
 - (c) The location and latitude and longitude of tower
 - (d) The extent of land required for establishment of mobile tower, if the same is with respect to Government Land.

- (e) The details of the building or structure, where the establishment of the mobile tower infrastructure, is proposed.
 - (f) The names and contact details of the employees of the Applicant for purposes of communication in regard to the application made.
 - (iii) Copy of structural stability certificate for Roof-Top Towers and the certificate should be from any authorized Structural Engineer of any of the following: the State Building Construction Department/Local Bodies/Central Building Research Institute (CBRI), Roorkee/IITs/NITs, State Government Engineering (Civil) Colleges or any other agency authorized from time to time.
 - (iv) Copy of the type test certificate issued by Automotive Research Association of India (ARAI) or any other authorized Agency to the manufacturers of the Diesel Generator (DG) Sets, if the DG sets to be installed at the site.
 - (v) Drawing of the tower with complete details including the specifications of foundations and design parameters.
 - (vi) In Case of Smart Cities in the State of Bihar all new telecom towers to be installed thereafter by TSP/IP, be it GBT/RTT, will be aesthetically compatible as per Industry norms and standards, For this Urban Development and Housing Department will issue appropriate directions.
 - (vii) Indemnity Bond (Original) to take care of any loss or injury to accident caused by the tower apart of the reasons of force-major (including a declaration to the effect that the Applicant will take necessary precautions for fire safety and lightning and it shall be solely responsible for paying all kinds of compensation and damages and would be responsible for case arising there from.
 - (viii) Three copies of Location Plan, Site Plan, Elevation Plan and Structure plan.
 - (ix) Copy of NOC from building /land owner which Mobile tower is proposed to be installed & authorized person in case of Government premises.
 - (x) Copy of clearance from Fire Safety Department only in case for high rise buildings where Fire Clearance is mandatory.
 - (xi) Any other matter relevant, in the opinion of the Applicant, connected with or related to the work proposed to be undertaken; and
- 7.1.5** If the application is not complete, the Applicant may be given opportunity to submit revised application or document(s), rectifying the defects within 15 days and the competent authority (Local Authority) may accept the revised application.
- 7.1.6** If the local authority rejects the application, the reasons for the rejection should be intimated to the applicant in writing within 7 days of submitting the application.
- 7.1.7** However, no application shall be rejected unless the applicant has been given an opportunity of being heard on the reasons for such rejection. If there is no reason to reject an application, the concerned Local Authority will issue permit for the mobile tower within 60 days of the day of making the application or revised application or documents, as the case may be.
- 7.1.8** In case of private building/property, if permit for installation of mobile tower will not be issued by the concerned Authority within stipulated period of 60

days, it will be deemed to be issued.

7.1.9 In case of rejection of application or delay in giving permission, the TSP/IP may prefer an appeal to the DTC within 15 days of such rejection. If the TSP/IP is not convinced with the decision of the DTC, they may prefer an appeal before the STC within 30 days of such decision of DTC.

7.1.10 Fees:

The licensee shall deposit following one time application fees and annual charges for using areas of lands and buildings of Central/State Government or Statutory or non statutory bodies/institutions.

Sl. No.	Particulars	Municipal Corporation (Rs)	Nagar Parishad (Rs)	Nagar Panchayat (Rs.)	Rural Area (Rs.)
a	One time permission charges for establishment of Telecom Towers (GBT/RTT).	20000	18000	16000	10000
b	Land usage charges for ground based Tower for 5 years (applicable for Govt. land only) GBM- 15'x15' GBT- 40'x40'	400 per sq. ft.	325 per sq. ft.	250 per sq. ft.	100 per sq. ft.
c	One time roof usage charges for Roof Top Towers, 10'x10' for 5 years (Applicable for Govt. buildings only)	600 per sq. ft.	500 per sq. ft.	400 per sq. ft.	300 per sq. ft.

Note: Usage charges can be calculated on prorata basis as per the area used. These fees can be revised from time to time by the Nodal Department.

*** However the land/roof usage charges defined in above table for installation of GBT, GBM and Roof Top Towers in the land and building owned by Municipal Corporation, may not be applicable if the Municipal Corporation has any approved rate existing for the same.**

7.2 Cell on Wheels (CoW)

Formal clearance or permit will not be required for installation of Cell on Wheel for specific purpose to provide good quality mobile coverage during festivals, Trade fair, etc. The Cell on Wheel can be placed maximum for thirty days normally without permission of Local Authority. In case the deployment is more due to any reason, permission from concerned Local Authority is required for a period not exceeding 90 days. Before installation of CoW, prior formal intimation to the following authorities within its jurisdiction will be given preferable 15 days before the installation of CoW mentioning Geo coordinate (Lat-Long) positions:—

- District Collector and Superintendent of Police of the concerned District.
- Concerned Block Development Officer and Officer in charge of the local police station of the area where the CoW is going to be installed.

No fees shall be charged for installation of Cell on Wheel.

7.3 Micro Communication Equipment/Pole

This Rules intends to promote installation of Micro Communication Equipment/Pole, where installation of Mobile towers viz GBT or RTT or RTP may not be feasible.

7.3.1 Permissibility:

Micro Communications Equipment being a small equipment can be installed on any type of land/building/zone across the State regardless of its specified land use including but not limited to the premises of :-

- i. Institutional/ Govt. buildings/ residential buildings including Multi Story Buildings/ Group Housing Complexes/ building used for industrial and commercial purposes.
- ii. On street electric poles, telegraph poles and other structures.

7.3.2 Procedure for submitting application for obtaining clearance/NoC/Consent (Permission) from Competent Authority for installation of Micro Communication Equipment/pole:

The TSP/IP, as the case may be, shall submit filled up application with all the relevant information and documents to the competent Local Authority as defined for the concerned area in which they want to install Micro cells /low power BTS. The concerned Local Authority shall issue permit/permission to the TSP/IP:—

- i. Copy of relevant license/Infrastructure Provider Registration Certificate from DoT.
- ii. Data Sheet
 - (a) Name of TSP/IP
 - (b) Location
- iii. Copy of clearance from Fire Safety Department only in case for high rise buildings where fire clearance is mandatory
- iv. Indemnity Bond (Original) to take care of any loss or injury to accident caused by the tower (including a declaration to the effect that the Applicant will take necessary precautions for fire safety and lightning and it shall be solely responsible for paying all kinds of compensation and damages and would be responsible for case arising there from).
- v. Copy of NoC from building /land owner which Mobile tower is proposed to be installed & authorized person in case of Government premises.

7.3.3. The rejection of application, appeal procedure shall be as provided in this rule.

7.3.4. Fees:

One time permission charge shall be applicable for establishment of Micro Communication Equipment by the Applicant in the State of Bihar.

Sl. No.	Particulars	Municipal corporation (Rs)	Nagar Parishad (Rs)	Nagar Panchayat (Rs)	Rural Area (Rs)
a	One time Permission Charge for issuing permit	6000	5500	5000	1200

For installation of each Wi-Fi antenna or Micro Cell unit with utility box attached to Micro Cell on any land or building owned by Govt. Department, the authority cannot collect annual charges of more than Rs 1000 in Urban areas.

7.4 In Build Solution (IBS):

This Rule intends to promote installation of In Build Solution (IBS), where there is a poor connectivity in terms of weak signal strength inside the office, shopping mall, hospitals, multi- storey building, education institutions and objective is to strengthen quality of service of mobile network.

7.4.1 Mode of deployment of In Building Solution:

There shall be various mode of deployment of In Building solutions such as:

7.4.1.1 The possible modes are Deployment by a neutral host infrastructure provider or Build and managed by mobile operator and sharing with other service providers on non discriminatory basis.

7.4.1.2 The In Build Solutions (IBS) can also be deployed by IP-I (Infrastructure Provider Category I) and shared with telecom service providers. For deploying indoor solutions these companies will be requiring permissions from the building owners. Moreover, if these IP-I companies are required to install optical fibre for connecting IBS/DAS nodes for which RoW / permissions will be required and shall be granted accordingly.

7.4.2 Permissibility:

In Build Solution Component being a small equipment can be installed on any type of land/building/utility pole and there is no requirement of getting the permission for installation of these components from the Local Authority but it is required to get permission from the Administrative Authority of the concerned building. (applicable only for Government buildings and no such NoC/Consent will be required for private buildings).

7.4.3 Procedure for submitting application for obtaining clearance/ NoC/Consent:

The application may be made to the Administrative Authority of the Building/ Head of the office with Layout diagram for implementing IBS in the building. (applicable only for Government buildings and no such NoC/Consent will be required for private buildings).

7.4.4 Fees:

There shall be no fee to be charged for IBS. However, charges can be levied for provision of power, fixtures, etc. if taken by the TSP/IP.

8. Right of Way (ROW) for Optical Fibre Cable infrastructures:

The works of laying optical Fibre cable (Under Ground and Aerial) by the side of the roads and other places are done by the licensee. The licensee shall have to take prior permission from appropriate authorities for laying optical Fibre along the roads, land, power supply poles, Bridges, etc. under ownership of various Departments/institutions like Building Construction Department, Road Construction Department, Rural Development Department, Forest Department, Water Resource Department, BIADA, Electricity Distribution Companies, Local Bodies, other authorities under the jurisdiction of State Government and also from the private owners.

For enabling smooth rollout and for granting timely permission for laying of Optical Fibre Cable, the Right of Way procedures for various authorities under their control shall be as follows:—

8.1 Process of Granting Permission:

- i. The Applicant will apply to the Principal Secretary/Secretary, Urban Development and Housing Department for permission for use of land/Poles/Bridges if the route permission is of more than 500 KM and/or if the area falls within the jurisdiction of more than two districts for laying of cable.
- ii. The Applicant will apply to the concerned District Collector of the area under his/her jurisdiction for route permission if the route is not more than 500 KMs and multiple Local Authorities in the Districts are involved. Applicant will apply separately to the District Collectors if the area of route is falling in the boundaries of two Districts.
- iii. If the OFC laying is required for a particular area of jurisdiction and it is falling under the jurisdiction of same local Authority, the concerned Local Authority can issue the permit. Route permit across the District only can be given by the District Collector.
- iv. The State Level Telecom Committee or District level Telecom Committee as the case may be shall periodically review the status of application in order to expedite the right of way clearances to the applicant in a time bound manner.
- v. The conditions given while granting permission / no objection order issued by the issuing authority/Departments must be complied by the Telecom Service Provider (TSP) or Infrastructure Providers (IP) within 15 days of issue of permission if any.
- vi. Under the Bharatnet project, the permission for the Right of Way for the users of Government Land will be issued free of Cost or as decided by the Nodal Department from time to time.
- vii. If the Applicant has submitted along with the application, valid approval to work on the land belonging to the forest Department, Water Resource Department, Local Authority, Industry Department, NHAI, Archeological Survey of India, Building Construction Department, Road Construction Department, other State and Central Agency, the issuing authority need not send the concerned Departments for their concurrences and permission can be granted.
- viii. The Applicant will have no right on the property which has been approved to use for the establishment and maintenance of Optical Fibre Cable infrastructures.
- ix. The Applicant will be liable for repair/restoration of any damage caused to the property during implementation of the scheme. The Applicant shall ensure making good the excavated trench for laying underground Optical Fibre Cable by proper filling and compaction, so as to restore the land into the same condition as it was before digging the trench, clearing debris/loose earth produced due to execution of trenching the portion for which Right-of-Way has been granted.
- x. The Applicant shall not claim exclusive right on the RoW and subsequent user will be allowed to use the RoW, either above or below or by the side of the utilities laid by the first user, subject to the technical requirements being fulfilled.
- xi. In case of non-compliances noticed, The Urban Development and Housing

Department or the District Collector will direct the Department under whose jurisdiction the road /land falls, to raise compensation for the damage in to be collected from the applicant/grantee or may cancel the permission granted.

- xii. In case of violation of provisions of this rule by any Applicant the competent officer appointed by the Urban Development and Housing Department or the concerned District Collector will issue show cause notice to the Applicant. In case a satisfactory reply is not received within 15 days of the issuance of the show cause notice, the permission/no objection issued to the service provider will be cancelled.

8.2 Application with the supporting documents for establishment and maintenance of underground telecom infrastructure (OFC). Application with the following supporting documents to be submitted by the Applicant before the District collector or Principal Secretary/Secretary Urban Development and Housing Department:—

- (i) a copy of the license granted by the Central Government;
- (ii) the details of underground telegraph infrastructure (OFC) proposed to be laid;
- (iii) the mode of and the time duration for, execution of the work;
- (iv) the time of the day when the work is expected to be done in case the Applicant expects the work to be done during specific time of the day;
- (v) the details of expenses that such appropriate authority will have to bear in consequence of the work proposed to be undertaken by the Applicant for restoration etc.
- (vi) the inconvenience that is likely to be caused to the public and the specific measures proposed to be taken to mitigate such inconvenience;
- (vii) the specific measures proposed to be taken to ensure public safety during the execution of the work;
- (viii) Authorization from various State Govt. Agencies/PSU or Public for use of their land for OFC laying;
- (ix) The names and contact details of the employees of the Applicant for purposes of communication in regard to the application made;
- (x) any other matter relevant, in the opinion of the applicant, connected with or relative to the work proposed to be undertaken; and
- (xi) any other matter connected with or related to the work as may be specified, through a general or special order, by the Central Government or appropriate State Government or appropriate Local Authority;
- (xii) the Applicant shall, while making the application, give a specific commitment on whether he undertakes to discharge the responsibility for restoration, to the extent reasonable and prudent, of the damage that the appropriate authority shall necessarily be put in consequence of the work proposed to be undertaken.
- (xiii) every application shall be accompanied with a fee of Rs 1200 per kilometer for the Municipal Corporation, Rs 1000 per kilometer for the Nagar Parishad and Rs. 800 per kilometer for Nagar Panchayat and Rs. 600 per kilometer for rural area to meet administrative expenses for examination of the application and the proposed work.

8.3 Grant of permission by appropriate authority:

- (1) The Local Authority shall examine the application with respect to the following parameters, namely:-
 - (i) the route planned for the proposed underground telegraph infrastructure and the possible interference, either in the establishment or maintenance of such telegraph infrastructure, with any other public infrastructure that may have been laid along the proposed route;
 - (ii) the mode of execution;
 - (iii) the time duration for execution of the work and the time of the day that the work is proposed to be executed;
 - (iv) the details of expenses that such appropriate authority will have to bear in consequence of the work proposed to be undertaken by the Applicant for restoration etc.
 - (v) the responsibility for restoration of any damage that the appropriate authority may necessarily be put in consequence of the work proposed to be undertaken;
 - (vi) assessment of measures to ensure public safety and inconvenience that the public is likely to be put to in consequence of the work proposed and the measures to mitigate such inconvenience indicated by the Applicant;
 - (vii) any other matter connected with or related to the establishment or maintenance of underground telegraph infrastructure (OFC), through a general or special order, by the Central Government, appropriate State Government or the appropriate Local Authority.
- (2) The appropriate authority shall within a period not exceeding sixty days from the date of application made for establishment or maintenance of underground telegraph infrastructure (OFC) —
 - (i) grant permission on such conditions including, but not limited to, the time, mode of execution, measures to mitigate public inconvenience or enhance public safety; or
 - (ii) Reject the application for reasons to be recorded in writing;
 - (iii) However, no application shall be rejected unless the Applicant has been given an opportunity of being heard on the reasons for such rejection.
- (3) The Local Authority will accept the undertaking by the licensee to discharge the responsibility to restore the damage that such appropriate authority shall necessarily be put in consequence of the work, the appropriate authority, while granting permission for OFC, will seek a bank guarantee Rs. 50/- Per Running Meter of underground OFC to be laid in lieu of expenses for restoration of such damage, as security for performance in the discharge of the responsibility. This Bank guarantee will be drawn in favour of the Principal Secretary/Secretary to the Department of Urban Development and Housing Department or District Collector or the Local Authority who are the permit issuing authority for OFC laying in the State of Bihar. Matters relating to compensation against damages shall be determined by the State Level Committee or District Level Committee as the case may be and compensation so decided on

account of non-compliance shall be adjusted from the Bank Guarantee submitted by the Applicant.

- (4) The Local Authority shall not charge any fee other than those prescribed under this rule from the licensee for establishing underground OFC.
- (5) If the State Action Plan or District Action Plan is approved by the respective Committees, the Urban Development and Housing Department, Govt. of Bihar or District Collector will give the permission of OFC laying within 60 days from the date of receiving the application.
- (6) In case of private building/property, if permission for OFC laying will not be granted by the concerned Authority within stipulated period of 60 days it will be deemed to be approved.

8.4 Obligations of licensed TSPs/IPs in undertaking work.-

- (i) The Applicant shall submit the bank guarantee within a period of thirty days from the date of grant of permission and prior to the commencement of work of laying the underground telegraph infrastructure. However, the appropriate authority may, at its discretion, extend the said period for payment of expenses or submission of bank guarantee on an application made by the Applicant seeking such extension.
- (ii) The Applicant shall ensure that prior to the commencement of work of laying the underground telegraph infrastructure and at all times during the execution of work, the measures to mitigate public inconvenience and provide for public safety are implemented and the work of laying underground telegraph infrastructure is carried out in accordance with the conditions specified in the grant of permission by the appropriate authority.
- (iii) The Applicant shall ensure provision of positional intelligence, through appropriate technology, like GIS Map etc, of all underground telegraph infrastructures to enable the appropriate authority to obtain real time information on its location.
- (iv) The applicant shall ensure that during installation of towers or laying of OFC he will not damage any Govt. property and other property. If any damage is caused the applicant shall be liable for restoration of such property within prescribed time as given by the concern authority and if restoration is not done by the applicant within such time then the authority concerned shall restore such damaged property and cost of such restoration will be realized from the applicant.

8.5 Implementation Procedure:

- i. The Service Provider will start work in the District after fulfilling all the conditions. The service provider will have to inform the date of start of work to the Department of Urban Development and Housing Department, Concerned Collector and Local Authorities as the case may be.
- ii. If any damage is caused to the Government property by the work of the Applicant, then it will be responsibility of the Applicant to restore the same at his own cost or compensate the damage. If delivery of service is affected then the Applicant must restore the service within 24 hours and

the Applicant will have to carry out the work according to the instructions of the concerned Department.

- iii. The Applicant will have to install the Optical Fibre at a safe distance from the electricity wires while using electric poles.
- iv. In case the Department intends to increase the width of the road then the Applicant will have to shift the trench dug by it to the safe distance on its own cost at the place suggested by the agency.
- v. The Applicant would have to inform the concerned Department 3 days in advance about repair or maintenance work in cases where such maintenance planned in advance.
- vi. If the private land or structures are to be used in this work then the Applicant has to give compensation for the private land or the crop as the case may be. In case of any conflict, the decision of the District Collector shall be binding on both parties.

8.6 Permanent ducts constructed by the State agencies along roadside for establishing Optical Fibre Cable (OFC):

- i. The Applicant will pay utility fees as defined in para. 8.7 to use the duct constructed by the State agencies along the highways, main roads and District roads or other relevant areas. The fees will be decided by the State Government or by the agency nominated by the State Government from time to time.
- ii. The OFC ducts should be made sharable with other operators on mutual agreed terms between the parties.
- iii. The permission to use these ducts and review of utility will be done by the District Collector or Head of the concerned Local Authority.
- iv. No Applicant shall be allowed to do separate digging along roadside in the same alignment in which the permanent ducts have been constructed.
- v. No Bank guarantee will be collected from the Applicant if they use the State agency constructed ducts to lay the OFC cables.

8.7 Govt. agencies may build utility duct for common benefits that shall be made available to TSP/IP-1 to use on payment on utility fee/rent.

Utility Fees/Rent to use the Govt. Build-up Duct, Rs. 6 Per Year Per Running Meter of the duct or as decided by the Local Authority from time to time.

8.8 Right of Way (RoW) using electricity Pole and other utility Structures of the Government for Aerial Optical Fibre Cable laying:—

- i. Right of Way (RoW) for Aerial OFC laying will be encouraged in the hill area or as per the decision of the District Administration.
- ii. The Applicant will make the agreement with the concerned Electricity Distribution Company (NBPDC/ SBPDCL) for the utilization of the electric poles/ distributed network system.
- iii. Energy Department / (NBPDC/ SBPDCL) shall not be held responsible for any loss to the cable or the commercial operation loss to the Applicant due to theft or for any other reason whatsoever. The safety of the cable shall be entirely with the Applicant.
- iv. The Applicant will submit application with the right of usage of the utility pole in the offices of Local Authority. If the Local Authority finds the application in compliance with the entire requirement, then will issue the permit to the

applicant within the prescribed time. Application with the document as mentioned in rule 8.2 shall be submitted in addition to details of number of poll to be used and routes chart.

- v. If the route of aerial cabling is covering more than one jurisdiction, the Applicant will apply separately to the Local Authorities of the respective jurisdiction for issue of permit.

8.9 Fee of Aerial (Over-Ground) OFC Laying:

Sl no	Particulars	Fee (Rs)
a	Permission Charge for the route (Subject to the limitation of one jurisdiction)	6000
b	Rental per Pole per year	120 For Municipal Corporations 110 For Nagar Parishad 100 For Nagar Panchayat 60 For Rural Areas

9. Other Terms and Conditions

9.1 State Action Plan:

State Telecom Committee under the chairmanship of Principal Secretary/Secretary, Urban Development and Housing Department, Govt. of Bihar will approve the State Telecom Action Plan. STC will also verify the district action plan approved by the DTC before their Final Approval.

9.2. District Action Plan:

District Telecom Committee under the chairmanship of District Collector will prepare the district action plan for laying of underground /Aerial Optical Fibre, installation of mobile towers and other telecom infrastructures. The committee will mark the village, Private land, Land of Revenue/Local Authority/RD/Forest/Mining, National High Way, State roads and electricity line network etc as earmarked to use for laying of Optical Fibre Cables. The committee will also find out the buildings or property owned by various Departments /Schools/Colleges/PSUs to use for installation of towers and OFC laying.

After preparation of the draft district level action plan, it will be submitted before the State Level Committee for their approval. Suggestion and amendments given by the State Level Committee will be incorporated in the Final District Action Plan.

9.3 Refund of fee to the applicants:

In case the application for permission is rejected, the fee paid shall be returned to the applicant within one month from the date of reject after deducting 20% as administrative charge.

9.4 No Coercive Actions:

In order to avoid disruption in mobile communication which is an essential service, sealing of mobile communication towers/disconnection of electricity may not be resorted to without the consent of the respective Urban Development and Housing Department, Govt. of Bihar in case of any complain or issue related to EMF emissions. Mandatory advance notice of 90 days, mentioning the action to be taken, must be given to the applicant initiating any steps against the Telecom Infrastructure.

9.5 Penalty:

If an Applicant violates any provision of this rule, it shall be liable to be penalized as per following terms and conditions:—

- i. As soon as nodal office comes to know that any provision has been violated, a show cause will be issued to TSP/IP. TSP/IP has to reply within 15 days from date of service of notice.
- ii. If reply is not satisfactory the Applicant will be levied fee up to Rs 30000. The penalty money may be recovered from Bank Guarantee provided by the Applicant to any of the Local Authority in case the amount is not deposited within the time period specified by the Authority.

9.6 Rejection of the Application:

- i. Any of the agencies involved have given negative remarks and the chairman considers the remark sufficient enough to decline the proposal.
- ii. Any other relevant grounds on which the Chairman of the single window committee decides so.

9.7 Bank Guarantee and its Forfeiture:

A performance bank guarantee for laying underground OFC with a validity of one year initially shall have to be furnished by each Applicant (IP /TSP) to the authority as a security against improper restoration of the land/Pole and other property, interruption, disruption or failure caused thereof to any services etc. The bank guarantee will be forfeited in the following cases:—

- i. In case of the Applicant failing to discharge the obligation of making good of the restoration work.
- ii. If the Applicant failed to perform as per the undertaking, in spite of extension of time.
- iii. Regular accident or mishaps because of lack of safety and precautions measures during the execution of works.

In case, the performance bank guarantee is invoked as mentioned above, the Applicant shall be required to replenish and reinstate the required Performance Bank Guarantee within one month of such invoking.

9.8 Redress of Public Grievances:

In order to effectively address Public Grievances Relating to installation of towers and issues related to Telecom Infrastructure, District level Telecom Committee and State Level Telecom Committee are being constituted as provisioned in this rule.

9.9 Availability of Electrical power to Applicant:

Mobile communication tower being a critical infrastructure, Energy Department shall give priority in providing electrical power connection to Mobile Towers and Telecom equipments. The Power distribution companies should ensure that disconnection of electrical power if required is executed with prior written notice of at least 30 days given to the concerned IP and TSPs.

9.10 Regularization /Compounding:

Application for obtaining clearance for the existing unauthorized mobile towers or OFC shall be submitted within six months of issue of this Rules, after which the matter would be taken as per laid down procedure. Once the application is submitted within due time, the operation of the

Mobile Tower or OFC shall not be discontinued till disposal of the application by the concerned Local Authority. In case the Local Authority declines clearance for any existing unauthorized mobile tower or OFC an appeal can be filed before the Competent Authority.

Notwithstanding anything contained herein, the operation of the Mobile Tower or OFC shall not be discontinued for such any appeal is filed and/or pending before DTC or STC.

9.11 Ancillary Equipment:

Any ancillary equipment required for mobile Towers, OFC and other telecom infrastructure should be arranged by the IP/TSP and these include the following:—

- i. Shelter room for housing the equipment
- ii. Battery/Solar Power/Diesel Generator/alternate source of power
- iii. Safety Equipment Like Lighting protecting system, Earthlings system, Firefighting equipment etc.
- iv. General Lighting, Fencing / Boundary wall etc.
- v. Statutory signage's as directed by DoT from time to time

9.12 Binding Nature of the Recommendations:

The recommendation of the DTC or the STC as the case may be, shall be binding on Local Authorities, Relevant Department, Police, the TSP/IP or any other authority related to the subject.

9.13 NOFN (National Optical Fibre Network)/ Bharatnet:

The permission for the Right of Way for the use of Government land will be issued free of cost for Bharatnet Projects or as shall be decided by the Nodal Department from time to time.

9.14 Sharing of Sites/utility:

Applicant may share the towers with multiple TSP for fixing their respective antennas/other active equipment.

9.15 Mode of Payment:

Applicable fees in the form of DD/Challan as prescribed in the Rule for mobile towers, OFC and other relevant telecom infrastructure will be paid in favour of the Competent Authorities specified in the Rules.

9.16 Right of Local Authority to seek removal of Mobile Towers and OFC and other related telecom infrastructure.

Where the appropriate authority, having regard to circumstances which have arisen since the establishment of any telegraph infrastructure under, over, across, in or upon, any immovable property vested in or under its control or management of that appropriate authority, that is necessary and expedient to remove or alter such telegraph infrastructure, it shall issue a notice to the Applicant, being the owner of such telegraph infrastructure to remove or alter its location.

On receipt of the notice, the Applicant shall, forthwith and within a period of thirty days, proceed to submit, to the appropriate authority, a detailed plan for removal or alteration of such telegraph infrastructure.

The appropriate/Local Authority shall, after examination of the detailed plan submitted by the Applicant, pass such orders as it deems fit:

Provided that the appropriate authority shall, having regard to emergent and expedient circumstances requiring the removal or alteration of

such telegraph infrastructure, provide reasonable time to the Applicant for removal or alteration of such telegraph infrastructure:

Provided, further that the responsibility and liability, including the cost thereof, for removal or alteration of such telegraph infrastructure shall be borne by the Applicant.

9.17 Construction/repair works by various utility service providers of State/Central authorities

The agencies of various utility service providers extending services such as electricity (NBPDC/ SBPDCL), water supply pipes, gas pipes, sewerage, RoW works (BCD/RCD/NHAI) etc, while undertaking new construction /repair works in specific alignment to optical fibre cable (OFC) shall intimate to concerned Local Authority and also to concerned TSP/IP providers well in advance not less than 15 days before the start of work so as to give sufficient time to TSP/IP to make plans for shifting of OFC/alternate route in order to avoid disruption in mobile /internet services.

As the TSP/IP are providing /supporting Telecom services the power disconnection to telecom installation shall not be done without prior notice to the concerned TSP/IP at least 15 days in advance.

9.18 Dispute Resolution:

Any dispute between licensee and the Local Authority/body can be redressed with the following steps:—

- i. District Level Telecom Committee is the First Appellate Authority to deal with the matters related to the dispute.
- ii. If the Applicant is not satisfied with the decision of First Appellate Authority, will appeal within 30 days of the decision of 1st Appellate Authority before the State Level Telecom Committee headed by Principal Secretary/Secretary, Urban Development & Housing Department as the Second Appellate Authority.
- iii. If the Applicant is not satisfied with the decision of the Second Appellate Authority, will appeal within 30 days of the decision of the Second Appellate Authority before the designated officer for dispute resolution under Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016.

9.19 Changes in the Rules:

This Rules shall be suitably adjusted to accommodate changes that may be necessitated on account of any technology or regulatory changes which may be introduced by the Department of Telecommunications, Government of India or any other Competent Authority in order to keep this Rules dynamically responsive to changing technology, regulatory regime or any other unforeseen development.

10. Interpretation:-

In case of any ambiguity or difference in interpreting the provisions of the English and the Hindi version of this Rules, the provision of the English version of this Rules shall be applicable.

11. Repeal and Savings:

1. Bihar Communication Towers and related structures Rules, 2012 is hereby repealed.
2. Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken under the Rule so repealed shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions

of this Rule, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Rule.

By the order of the Governor,
Arvind Kumar Jha,
Joint Secretary to the Government.

Appendix to The Rule

Appendix-A

Application for Issue of Permission For Establishment of Mobile Towers, OFC and Other Telecom Related Infrastructure in the State of Bihar.

Ref No
To

Date/...../.....

(Use of Capital Letters Only)

A	Address of the Applicant		
1	Name of the IP/TSP		
2	Address for correspondence	Plot/Flat No	
		Street/Road	
		Village	
		City/Town	
		District	
		Pin	
		Contact No	
3	Authorized person with designation	Name	
		Designation	
		Mobile No	
		e-Mail	

B		Proposals					
1	Mobile Towers	GBT ☐ RTT ☐ RTP ☐					
2	ROW OFC	Underground ☐ Aerial ☐					
3	COW						
4	Micro Cell						
C		Location of the Proposed Site/Route					
C 1		Mobile Towers					
	Owner of the land/Building	Govt/PSU/Private					
	Name of the owner/ Authorized Person						
	Plot/Flat/Premises Nos						
	Sanctioned Layout No if Any.						
	Road/Street						
	Ward/Block No/Village						
	Land Mark						
	City/Town, District						
	Plot Size		Khata No		Mouza		
	Ownership Document		Aggre. No		Date		
C 2		ROW OFC - Underground					
	Rout Permit	From		To			
	Area in Sq. Meter/KM						
	District under coverage	Dist 1		Dist 2		Dist 3	
	Land Under The Ownership (In Sq Meter/ KM)						
	Rural Authority		Urban Authority				
	Forestry		NHAI				
	PWD		RD				
	Central Authority		Private				
	PSU		Revenue				
	Others if any						
C3		ROW – Aerial OFC					

	Rout Permit	From		To	
	Area in Sq.Meter/KM				
	Number of poles to be used				
	Permit from Dept of Energy/Company like CESU				

C4	MICRO Cell				
	Owner of the land/Building	Govt/PSU/Private			
	Name of the Owner				
	Plot/Flat/Premises Nos				
	Road/Street				
	Land Mark				
	CITY/Town, District				
	Ownership Document	Agreement No, if any		Date	

D	Fees				
	Installation Fees (`)				
	Demand Draft /Challan Number				
	Drawn in favour of				
	Date				
	Drawing Bank				
	Payable at				

E	Documents as per requirement	Enclosed (Y/N)
	Copy of relevant license or Infrastructure Provider Registration Certificate from DoT.	
	Copy of structural stability certificate for Roof-Top Towers	
	Copy of the type test certificate issued by Automotive Research Association of India (ARAI) or any other authorized Agency to the manufacturers of the Diesel Generator (DG) Sets	
	Copy of clearance from Fire Safety Department, if applicable	
	Copy of clearance from State Environment & Forest Department, if applicable.	
	Drawing of the tower along with specifications of foundations and design parameters.	

	Indemnity Bond (Original) to take care of any loss or injury to accident caused by the tower.	
	Three copies of Location Plan, Site Plan, Elevation Plan and Structure plan.	
	Copy of NOC from building /land owner or Authorised Personnel	
	Rout plan along with GIS Map only for laying OFC	
	Prescribed Fees for Permission	
	NOC from NHAI, ASI, Airport Authority if required	
	Other documents if any prescribed under this rules	
	Any other certificates/NOC required by the authority from time to time	

Certified that all the information/documents furnished above are authentic and true to best of my knowledge.

Name of Authorized Official	
Designation	
Signature with Seal of the Organization	
E-Mail	
Tele No.	
Mobile No.	
Date	

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 505-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>